[2019] 13 एस. सी. आर 1

एसएमटी। गार्गी

वी.

हरियाणा राज्य

(2010 की आपराधिक अपील सं. 1046)

सितंबर 19,2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.302-अभियोजन के तहत दोषसिद्धि

मामला यह था कि अपीलार्थी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद सह-अभियुक्त व्यक्तियों (उसके भाइयों) की मदद से,

शव को घर के एक कमरे में लटका दिया, जैसे कि यह आत्महत्या का मामला हो-मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित था जहाँ, अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक (पति) और अपीलार्थी (पत्नी) के संबंध बहुत तनावपूर्ण थे; मृतक

पी. डब्ल्यू.-7 (मृतक का भाई) और पी. डब्ल्यू.-8 (मृतक की बहन) ने अभियोजन मामले के समर्थन में गवाही दी-ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया

हालांकि सभी अभियुक्त व्यक्तियों, उच्च न्यायालय ने पाया कि

अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियाँ अपीलार्थी के भाइयों के खिलाफ पर्याप्त नहीं थीं और उन्हें बरी कर दिया, लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्षों की पुष्टि की-अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की-अभिनिर्धारित किया: विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पी. डब्ल्यू.-7 की गवाही के संदर्भ में अपीलार्थी को दोषी ठहराया और

पीडब्लू-8-पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की गवाही पर एक संयुक्त नज़र डालने से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि परिवार का एक पैतृक घर था और उसे अकेले पीडब्लू-7 द्वारा बेचा गया था और बिक्री आय का उपयोग उसके द्वारा कई उद्यमों में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बंद या विफलता हुई-अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि

संपत्ति और धन परिवार में कलह की जड़ थे और

डी. डब्ल्यू.-3 ने यह भी गवाही दी कि मृतक को अपने भाई यानी पी. डब्ल्यू.-7 की पैसे की मांगों के कारण तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा-तैयार किए गए रेखाचित्र के अनुसार पीडब्लू-3 द्वारा, गवाह पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 के अनुसार कमरे के साथ एक बाथरूम-सह-शौचालय संलग्न था

जहां मृतक रख रहा था-यह इस सुझाव को गलत साबित करता है कि मृतक को शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था।

[2019] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूतल पर किरायेदार-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इन कारकों की पूरी तरह से अनदेखी की-इस पर संदेह के मजबूत तत्व सामने आए

पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की विश्वसनीयता के संबंध में अभिलेख-इसके अलावा, अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष और ठोस सबूत नहीं था कि अपीलार्थी अवैध संबंधों में शामिल था या मृतक को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा था-अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतक और उसके परिवार के संबंधों में दूर से भी किसी भी तरह के मतभेद का संकेत नहीं दिया।

अपीलार्थी-जहाँ तक अंतिम बार एक साथ देखे गए सिद्धांत का संबंध है, अपीलार्थी और मृतक के बीच का अंतराल

आखिरी बार एक साथ देखा गया था (29.04.1997) और जब मृतक था

मृत पाया गया (01.05.1997) ऐसा नहीं था कि किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना को पूरी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है।

असंभव-इसके अलावा, जांच एजेंसी और

अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं था-अपराधों के प्रासंगिक पहलुओं की ठीक से जांच नहीं की गई और मां जैसे प्रासंगिक गवाह,

मृतक की बेटी और जीजा की जाँच नहीं की गई।

इसके अलावा, जांच एजेंसी ने स्वतंत्र गवाह को टाल दिया जाँच-उन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है-इसलिए, अपीलार्थी को यू / s.302 अलग रखें।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: मृतक का कथित अंतिम बयान और मकसद

1. पीडब्लू-7 (मृतक के भाई) और पीडब्लू-8 (मृतक की बहन) की गवाही पर एक संयुक्त नज़र डालने से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि वहाँ एक पैतृक घर था। उस परिवार से संबंधित जिसे अकेले पीडब्लू-7 द्वारा बेचा गया था और बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग उसके द्वारा एक किराने की दुकान खोलने के लिए किया गया था, जो उसके द्वारा प्रयास किए गए कई उद्यमों में से एक था, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर बंद हो गए या बंद हो गए।

विफलता। अपीलार्थी ने अपने दावे में स्पष्ट किया था कि संपत्ति और धन विवाद की जड़ थे। परिवार और वही परिवार का कारण रहा था

मृतक उसे फंसाता है। डी. डब्ल्यू.-3 ने इस प्रभाव की भी गवाही दी है कि मृतक को पैसे के कारण तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा था उसके भाई की मांगें अर्थात पीडब्लू-7। दुर्भाग्य से, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी पर मंडराते इन कारकों और विशेषताओं की पूरी तरह से अनदेखी की है। [पैरा 24] [40-सी-डी] एसएमटी।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

2. अभियोजन पक्ष की कहानी में और गहराई से जाने पर, यह स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पर कोई प्रत्यक्ष और ठोस सबूत नहीं है कि

अपीलार्थी अवैध संबंधों में शामिल था या मजबूर कर रहा था

संपत्ति के हस्तांतरण के लिए मृतक। पीडब्लू-7 या पीडब्लू-8 का यह दावा नहीं था कि अपीलार्थी के कथित अवैध संबंध और/या मृतक पर संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए दबाव डालना उनकी व्यक्तिगत जानकारी का विषय था। कोई विवरण नहीं

अपीलार्थी के साथ अवैध संलिप्तता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में अभिलेख में पाया जाना चाहिए। इन गवाहों द्वारा इस तरह के दावे मृतक द्वारा कथित रूप से उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से और अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों के आधार पर किए गए हैं। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 के इन सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लिया है कि मृतक ने उनके सामने बयान दिए हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है और यहां तक कि उन पर आरोप भी लगा दिया है।

कथित तौर पर पीडब्लू-7 को मृतक की मृत्यु घोषणा के रूप में दिया गया बयान। कड़ाई से कहें तो पीडब्लू-7 को दिए गए कथित बयान को 'मृत्यु घोषणा' के रूप में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि इस तरह का बयान देने के समय मृतक अपनी आसन्न मृत्यु के कारण काम नहीं कर रहा था और वह नहीं था उनकी मृत्यु से संबंधित लेन-देन की परिस्थिति का वर्णन करते हुए। तर्कों के लिए, और भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 32 (1) के पहले भाग के व्यापक वाक्यांश पर, भले ही यह माना जाए कि मृतक द्वारा दिए गए बयान, मृत्यु का कारण उत्पन्न होने से पहले, या उससे पहले कि उसके पास अपनी हत्या का अनुमान लगाने का कोई कारण था, को भी स्वीकार्य माना जा सकता है, ऐसे कथित बयान पर ठोस पुष्टि के बिना सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में, पुष्टि के बारे में क्या कहना है, यहां तक कि मृतक द्वारा इस तरह का बयान देना भी संदिग्ध प्रतीत होता है। [पैरा 25] [41-ई-एच; 42-ए-बी]

अंतिम बार देखा गया सिद्धांत: सबूत और प्रभाव

3. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह सामने आता है कि पीडब्लू-7 के संस्करण के अनुसार, मृतक अंत में अपनी कंपनी में था

28.04.1997 जब उसने कथित तौर पर अपनी निराशा और डर के साथ-साथ सामान के साथ लौटने की अपनी योजना भी व्यक्त की। अपीलार्थी ने बताया है कि मृतक आईडी2 की सुबह उसके साथ था जब उसने आईडी1 पर निर्धारित वापसी के साथ उस दिन शुरू होने वाले अपने यात्रा कार्यक्रम की ओर इशारा किया। यह विवाद में नहीं है कि मृतक नियमित रूप से लगभग दो [2019] 13 एस. सी. आर. की लंबी अवधि के लिए दौरे पर था।

अपने कर्तव्यों के संबंध में सप्ताह। मृत शरीर को आईडी 3 पर बरामद किया गया था और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच (आईडी 2 पर दोपहर 1 बजे) संभवत: 24 से 72 घंटे का समय बीत गया था। इस राय के आधार पर, अंकगणितीय गणना के माध्यम से यह नहीं माना जा सकता है कि

हो सकता है कि मृतक का अंत 29.04.1997 पर हुआ हो। इसके एक दिन बाद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 28.2] [44-डी-एफ]

4. दी गई परिस्थितियों में, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को अपीलार्थी के खिलाफ केवल इसलिए संचालित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह थी

मृतक की पत्नी और उसके साथ रह रही थी। अपीलार्थी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का अंतर इतना कम नहीं था कि किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना पूरी तरह से असंभव है। [पैरा 28.3] [44-जी]

अपीलार्थी और अन्य का बाद का आचरण

परिस्थितियाँ

5. मान लीजिए, लाश से बदबू आ डी. डब्ल्यू. निकल रहा था।

8 हालाँकि अपीलार्थी ने पिछली शाम शव को देखा था और डी. डब्ल्यू.-3, सुरिंदर कुमार भट के माध्यम से संबंधित को सूचित करने के लिए कदम उठाए थे। दी गई परिस्थितियों में, अपीलार्थी पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता था यदि वह पीडब्लू-8 के आने तक शव के साथ नहीं रहती थी। 'चाय का आनंद लेना' अभिव्यक्ति इस गवाह पीडब्लू-8 द्वारा अकेले और पुष्टि के अभाव में और पुलिस में इस तरह के तथ्य को छोड़ने के लिए गढ़ा गया था। कथन, इसे स्वीकार करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। यदि अपीलार्थी के बाद के किसी भी आचरण पर विचार किया जाना है, तो यह स्पष्ट है कि वह अपने कार्यालय में उपस्थित हुई थी।

30.04.1997 और 01.05.1997। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि इन दो दिनों के दौरान, उसके व्यवहार में किसी भी असामान्यता को किसी ने देखा था। अपीलार्थी ने न तो खुद को छिपाया और न ही किसी भी तरह से अपराध स्थल को बदला और उसके व्यवहार और व्यवहार में किसी भी विषमता के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। [पैरा 29] [45-डी-एफ]

6. यह न्यायालय यह निरीक्षण करने के लिए जल्दबाजी करेगा कि केवल सह-अभियुक्त के बरी होने के कारण, एक आपराधिक एस. एम. टी. में एक अन्य अभियुक्त।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

यदि उसके खिलाफ ठोस साक्षय उपलब्ध है और उसके मामले को बरी किए गए सह-अभियुक्त के खिलाफ मामले से अलग किया जा सकता है तो मामले को बरी नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले के बुनियादी तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन वीभत्स कार्य किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था और यह मान लेना बेतुका होगा कि अपीलार्थी ने शव को छत के पंखे से लटका दिया था। दी गई परिस्थितियों में, जब अपीलार्थी के कथित सहयोगियों को बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी पर पहले से ही संदेह के बादल छा जाते हैं।

उच्च न्यायालय ने मिसिंग लिंक को केवल जांच एजेंसी की गलती के रूप में छोड़ कर मामले के अति-सरलीकरण के साथ आगे बढ़ा है। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही भाइयों

अपीलार्थी को बरी कर दिया गया था, उच्च न्यायालय को इस तरह के बरी होने के परिणाम की जांच करनी चाहिए थी कि अभियोजन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई थी और यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित किया है। [पैरा 31.1] [46-एफ-एच; 47-ए]

अभियोजन पक्ष का मामला उचित से परे स्थापित नहीं हुआ

अभिलेख और आसपास के कारक यह हैं कि (ए) की मृत्यु मृतक प्रकृति में नरघातक था और आत्महत्या करने वाला नहीं था, हालांकि दोषियों द्वारा फांसी देकर इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने की मांग की गई थी

उसके कमरे में छत के पंखे से मृत शरीर; (बी) एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस और ठोस सबूत नहीं है कि मृतक और अपीलार्थी के संबंध तनावपूर्ण थे या कि अपीलार्थी अवैध संबंधों में लिप्त था या वह अपने नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जोर दे रही थी; (सी) यह भी एक निश्चित निष्कर्ष पर आना मुश्किल है कि मृतक ने अपीलार्थी के हाथों अपने जीवन के लिए आसन्न खतरे को व्यक्त किया था; और (डी) भले ही मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था, इस तरह के अंतिम बार देखे जाने और उसकी खोज के बीच का समय अंतराल।

शव लगभग 2 से 3 दिन का था। [पैरा 32] [47-बी-डी]

चांदमल और अन्र। वी. राजस्थान राज्यः (1976) 1 एससीसी

621 ; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम।

महाराष्ट्रः (1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एससीआर 88;

हनुमंत वी. मध्य प्रदेश राज्यः ए. आई. आर. 1952 एससी

343 : [1952] एस. सी. आर. 1091; पाकला नारायण स्वामी बनाम। द.

राजस्थानः (2011) 3 एससीसी 685: [2011] 4 एससीआर 585; एस. के. यूसुफ बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 11 एससीसी 754:

[2011] 8 एस. सी. आर. 83; सवाल दास बनाम। बिहार राज्यः (1974) 4

एससीसी 193: [1974] 3 एस. सी. आर. 74-संदर्भित।

बी. डब्ल्यू. पैटन की न्यायशास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक, चौथा

संस्करण, पृष्ठ 598-संदर्भित।

सी. एस. केनी द्वारा आपराधिक कानून-संदर्भित।

मोदीः चिकित्सा न्यायशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक और विष विज्ञान-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2004) 12 एससीसी 77

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.8

[2018] 7 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.8

[2011] 4 एससीआर 585

पै

रा 8.8

संदर्भित किया गया है

[1974] 3 एससीआर 74

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.8

(1976) 1 एस. सी. सी 621

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13.2

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13.3

[1952] एससीआर 1091

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13.3

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

ए. आई. आर 1939 पी. सी. 47

[2011] 8 एससीआर 83

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28.3

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

1046 2010 से।

उच्च निगम के 05.03.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा। अपील सं. 359-डी. ई. 1998

निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तरुण गुप्ता, सुश्री वृति गुजराल, Ms.Pal

Ms.S.Janani के लिए सिंह और Ms.Japneet कौर, अधिवक्ता। एप्पेला एस. एम. टी. के लिए।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

अनीश कुमार गुप्ता, ए. ए. जी., अवधेश कुमार सिंह, चंद्रशेखर सुमार, निसर्ग चौधरी और डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील आम लोगों के खिलाफ निर्देशित है।

पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 05.03.2008[1] का निर्णय और आदेश

और चंडीगढ़ में हरियाणा ने आंशिक रूप से निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा 1997 के सत्र मामले संख्या 63 में दिनांक 09.06.1998; और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रोक दिया है। (' आई. पी. सी. ') सह-अभियुक्त व्यक्तियों को आरोप से बरी करते हुए भी

आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302।

1.1 . भौतिक पहलुओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह देखा जा सकता है

कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था

उसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी मदद से

सह-अभियुक्त व्यक्तियों (उसके भाइयों) के शव को घर के एक कमरे में लटका दिया, जैसे कि यह आत्महत्या का मामला हो। मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित था, जहाँ अभियोजन पक्ष के अनुसार,

मृतक (पति) और अपीलार्थी (पत्नी) के संबंध भी थे

तनावग्रस्त; मृतक ने धमकी की धारणाओं को बताया था कि उसकी पत्नी हो सकती है

उसे मार डालो, क्योंकि वह अवैध संबंधों में शामिल थी और हड़पना चाहती थी

आरोपों को नकारते हुए, यह दलील दी कि वह एक खुशियों का नेतृत्व कर रही थी दो बच्चों के साथ अपने पति के साथ 18-19 वर्षों तक विवाहित जीवन; और मृतक का भाई, जिसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी

और जो अभियोजन पक्ष का प्रमुख गवाह था, गलत इरादे ले रहा था

उसके पति की संपत्ति हड़पने के लिए और उसके अभियोजन का प्रबंधन किया था। निचली अदालत ने स्वीकार करते हुए सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया अभियोजन पक्ष का मामला और बचाव पक्ष के बयान को अस्वीकार करना। अपील में, उच्च

हालांकि अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड में लाई गई परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं

1 आपराधिक अपील सं। 341 - 1998 का डी. बी. और 1998 का 359-डी. बी.

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाइयों के खिलाफ साजिश का आरोप घर लाने के लिए पर्याप्त

अपीलार्थी ने उन्हें खारिज कर दिया लेकिन, अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्षों की पुष्टि की और अपने पति की हत्या के अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि को बनाए रखा। इसलिए यह अपील की गई है।

प्रासंगिक तथ्य और पृष्ठभूमि पहलू

2. संक्षेप में कहें तो अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 01.05.1997 पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सदन में आत्महत्या कर ली है

2.1 . पुलिस के पहुंचने के लगभग पाँच घंटे बाद, 02.05.1997 के लगभग 4:30 बजे, शिकायतकर्ता बृजभूषण कौल (पीडब्लू-7), मृतक का भाई अपनी पत्नी, मां, बहन के पति और बहन श्रीमती के साथ मौके पर पहुंचा। राधापुरी (पीडब्लू-8)। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि मृतक और अपीलार्थी का संबंध भी था

जिसके कारण वे उसी में अलग-अलग कमरों में रह रहे थे

उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पत्नी का चरित्र खराब था और वह थी 'बुरी महिलाओं के साथ' रहना। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि 28.04.1997 पर मृतक उसके घर (अंबाला कैंट में) आया और उससे कहा कि वह पंचकूला जाएगा और अपना सामान लेकर वापस आएगा क्योंकि वह 'बहुत तंग और डरा हुआ' था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि 01.05.1997 की रात लगभग 11.30 बजे उसे एक संदेश मिला।

कि उसके भाई की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद, वह अपनी माँ, पत्नी, बहन और बहनोई के साथ मृतक के घर पहुँचा, केवल मृतक को ऊपर वर्णित स्थिति में पाया।

2 पुलिस और शिकायतकर्ता को यह जानकारी कब मिली, संचार के किस माध्यम से, और किसके माध्यम से, इस मामले में कुछ सवाल हैं, जिन पर बाद में ध्यान दिया जाएगा।

एसएमटी। गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समापन करते हुए, शिकायतकर्ता ने अपना संदेह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने अपने भाई की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अपनी मांगों के अनुसार अपना घर स्थानांतरित नहीं किया था।

2.2 . विचाराधीन घटना के लिए, एफ़. आई. आर. सं. 174 दिनांक 02.05.1997

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। प्रारंभिक में, जाँच रिपोर्ट (उदा. पी. एच./2) ए. एस. आई. अमर सिंह (पी. डब्ल्यू.-9) द्वारा तैयार किया गया था। पीएम) तैयार किया गया था; फोटोग्राफर शशि (पीडब्लू 11) द्वारा तस्वीरें ली गई थीं; और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद, जांच इंस्पेक्टर जग प्रवेश (पीडब्लू-10) द्वारा की गई, जिन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का दौरा किया, स्केल्ड साइट प्लान (एक्स। पीडी) और अपीलार्थी को भी गिरफ्तार कर लिया। एस. आई. ईश्वरचंदर (पीडब्लू 12) ने भी इस मामले की आंशिक रूप से जांच की। उन्होंने भाइयों को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया।

अपीलार्थी, जो अग्रिम जमानत पर थे। इसके बाद, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया, जबकि उसके भाइयों पर आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

अभियोजन साक्षय 3.
समर्पण के बाद, मामले की सुनवाई सत्र मामला संख्या 63 के रूप में की गई।

1997 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के न्यायालय में। अभियोजन पक्ष,

अन्य बातों के साथ-साथ 12 गवाहों से पूछताछ की गई। विषय को ध्यान में रखना

इस अपील और इसमें शामिल प्रश्नों के विवरणों से उभरने वाले प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देना फायदेमंद होगा। एक छोटी सी मुद्रास्फीति की कीमत पर भी, आवश्यक विवरणों में भौतिक गवाह।

3.1 . पीडब्लू-1 Dr.UshaBansal, जो इसके सदस्यों में से एक था

मेडिकल बोर्ड जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था और रिपोर्ट तैयार की थी। पी. ए. ने टिप्पणियों और राय को इस प्रकार बताया:

‘ ..... 3 सेमी मापने वाला एक अच्छी तरह से परिभाषित अवसादग्रस्त बंधन चिह्न।

थायराइड उपास्थि के चारों ओर गर्दन को घेरते हुए देखा गया गर्दन के बाईं ओर एक गाँठ मौजूद है। यह बंधन चिह्न

प्रकृति में पूर्व-मरण था। थायराइड के ऊपर एक बंधन चिह्न उपास्थि तिरछा ऊपर की ओर और बाईं ओर पीछे की ओर जा रहा है

के बाईं ओर गाँठ की एक अनियमित छाप के साथ मौजूद

गर्दन 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह बंधन चिह्न

यह पोस्टमॉर्टम प्रकृति का था।

XXX

XXX

हमारी राय में, मृत्यु का कारण दम घुटना था गला घोंटना। संभावित समय जो चोट के बीच बीत गया

और मृत्यु कुछ मिनटों की थी और मृत्यु और पद के बीच

मृत्यु 24 घंटे से 72 घंटे तक थी।

3.2 . पीडब्लू-7 बृज भूषण कौल (मृतक का भाई) इस मामले में अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह रहा है। प्रासंगिक दावे

उसकी परीक्षा-इन-चीफ रीडस में नीचे लिखा है: -

..... दिसंबर, 1997 तक मैं अंबाला छावनी में रहा। तिरलोकीनाथ एस. एम. टी.

हम अंबाला छावनी जाते थे और हमेशा हमारे पास पाए जाते थे

परेशान, पारिवारिक समस्या के कारण। तिरलोकिनाथ ने हमें बताया कि उन्हें घर की ऊपरी मंजिल पर एक अलग कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें भोजन की कोई वस्तु नहीं दी गई थी और उनकी पत्नी श्रीमती द्वारा उनका बुरा इलाज किया जा रहा था। गार्गी देवी। उन्होंने कई बार यह भी बताया कि उन्हें रात के समय उनकी पत्नी द्वारा कमरे और शौचालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तिरलोकीनाथ मृतक अंत में लगभग 7:45 बजे अंबाला कैंट में हमारे घर से निकला और जाते समय उसने बताया कि अपना सामान लेने के लिए पंचकूला जाने का यह उसका आखिरी मौका था और फिर वह हमेशा के लिए अंबाला कैंट आएगा। इस पर मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपनी पत्नी श्रीमती के अवैध संबंधों के कारण बहुत परेशान थे। गार्गी देवी और उसे डर था कि अगर वह पंचकूला में एक ही घर में रहता है तो उसके तीन भाइयों की मदद से उसकी हत्या की जा सकती है। इस पर मैंने उससे कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि एक पत्नी अपने पति की हत्या नहीं कर सकती। हालाँकि, हमारे घर से निकलते समय, वह था

पूरी तरह से टूट गया। तिरलोकीनाथ अपने कमरे में अपने स्वतंत्र सिलेंडर का उपयोग करके केवल घर की ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में चाय पीते थे। श्रीमती ने उन्हें चाय तक नहीं दी। गार्गी और बच्चे। उसने मुझे बताया कि एक बार उसकी पत्नी ने उसे मारने के लिए गैस सिलेंडर खोला था। मैं 1.5.97 पर दौरे पर था। आई.

देर रात लगभग 11.30 बजे अंबाला में अपने घर वापस आया। इसके तुरंत बाद, मुझे अपनी तरफ से एक संदेश मिला

पड़ोसी श्री टी. आर. मल्होत्रा मुझे यह संदेश दे रहे हैं कि पंचकूला में उनके भाई तिरलोकीनाथ नहीं रहे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मेरे कुछ सहयोगियों से मिली थी।

भाई। (इसका विरोध किया)। मेरे भाई की हत्या कर दी गई। उस समय, यह स्पष्ट नहीं था कि किसके द्वारा। इसके बाद मैंने टेलीफोन किया।

मेरे भाई की हत्या के बारे में मेरे रिश्तेदारों को संदेश।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इसलिए, मैं अपने बहनोई श्री ए. सी. पुरी, मेरी बहन के साथ

श्रीमती. राधा पुरी, मेरी माँ श्रीमती। राज कुमारी, मेरी पत्नी।

मीनाक्षी पंचकूला चली गईं। पंचकूला पहुँचने पर हमने श्रीमती के घर के बाहर दो एएसआई बैठे पाए। गार्गी। मुझसे जब पूछा गया कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, तो मुझे कहा गया कि मुझे सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए और खुद पता लगाना चाहिए। हम सब सीढ़ियाँ चढ़ गए और देखा कि तिरलोकीनाथ का शव पंखे से लटका हुआ है। मेरे भाई के पैर फर्श को छू रहे थे। फर्श पर खून देखा गया। शरीर से बदबू आ रही थी। मैंने बयान एक्स के माध्यम से पुलिस को मामले की सूचना दी। पीएच। यह.

मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

3.2. 1 . इस गवाह पीडब्लू-7 ने ओपेलेंट की ओर से अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसारः

" यह सही है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब मैं डेढ़ साल का था। तिरलोकीनाथ मेरी माँ की दूसरी शादी के सबसे बड़े बेटे थे। दो भाई और दो बहनें हैं। माँ की दूसरी शादी। जैसा कि बताया गया है, 1961 में दिल्ली में कैंसर के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। यह कहना गलत है कि मृतक तिरलोकीनाथ ने दोनों शादियों से मेरी माँ के सभी बच्चों को पाला था। ..... उन्होंने कुछ समय के लिए मेरी शिक्षा आदि का खर्च उठाया। मेरे भाई तिरलोकीनाथ की शादी लगभग 19-20 वर्षों में हुई थी।

पहले। मेरे पिता की मृत्यु और कुछ किराये की आय के कारण पारिवारिक पेंशन के अलावा मेरी माँ के पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

मेरी माँ ने आदर्श में एक घर किराए पर दिया था। नगर, अंबाला कैंट। मैं वर्ष 1978 में नौसेना में शामिल हुआ। मेरी शादी 1984 में हुई थी। यह कहना गलत है कि मेरे सेवा में शामिल होने और मेरी शादी का सारा खर्च मेरे भाई तिरलोकीनाथ ने उठाया था। चूँकि मुझे अपनी माँ से बहुत अच्छा लगाव था, इसलिए मैंने अपनी नौसेना की नौकरी छोड़ दी। श्रीमती के साथ अपनी शादी के बाद तिरलोकीनाथ। गार्गी ने शायद वर्ष 1978 में मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया और अलग रहने लगी और इसलिए यह मुख्य कारण था कि मैंने वर्ष 1980 में अपनी नौसेना की नौकरी छोड़ दी। यह कहना गलत है कि मैं नौसेना में किसी मामले में शामिल था

और पुलिस मेरे पीछे लगी और मैं फरार हो गया और अपनी नौकरी छोड़ दी। नौसेना छोड़ने के बाद, मैं फोर्ब्सफॉर्ब्स, कैम्प बेल एंड कंपनी में शामिल हो गया। जम्मू में 1981 या 1982 में बिक्री कार्यकारी के रूप में।

मैं अपनी माँ को कभी जम्मू नहीं ले गया क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत की थी।

करनाल में व्यवसाय किया और एक किराना की दुकान खोली।

सी. आर. गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुझाव है कि मैंने जम्मू में धोखाधड़ी की और मेरी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद मैंने करनाल में एक किराना की दुकान शुरू की। यह सही है कि आदर्श नगर, अंबाला कैंट में घर बेचा गया था और उस घर की आय का उपयोग मैंने करनाल में किराना की दुकान खोलने में किया था। मेरी माँ करनाल में मेरे साथ रहने लगीं। ऐसा हो सकता है कि यह घर वर्ष 1980 में बेचा गया था और बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग एक किराना की दुकान खोलने में किया गया था, जिसे मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे वह व्यवसाय पसंद नहीं था। किराना की दुकान बंद करने के बाद मैं अंबाला कैंट आया और अपनी मां के साथ रहने लगा। यह गलत है।

यह सुझाव देने के लिए कि मैंने राशि का दुरुपयोग किया और इसलिए व्यवसाय को बंद करने और वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था

अम्बालाकांट। मैं होटलों में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ,

अर्थात् हाइड आउट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पलवल और स्टैंडर्ड होटल, अंबाला कैंट। मैं कैमलिन लिमिटेड बॉम्बे के साथ काम कर रहा था लेकिन लुधियाना में लगभग साढ़े तीन साल की अवधि के लिए बिक्री संवर्धन आयोजक (उत्तर) के रूप में तैनात था। यह कहना गलत है कि मैंने लुधियाना में धोखाधड़ी की थी और मेरी सेवाएं गलत थीं।

कोई प्रतिभूति नहीं थी। यह कहना गलत है कि मैंने श्रीमती पर दबाव डाला। गार्गी को बैंक ऋण के खिलाफ और श्रीमती के इनकार पर गारंटी के रूप में खड़ा होना चाहिए। गार्गी, मेरे भाई तिरलोकीनाथ गारंटी के रूप में खड़े थे। मैंने अपने द्वारा ली गई राशि के आधे से अधिक ऋण का भुगतान कर दिया है। ..... यह कहना गलत है कि एक Mr.Narang ने मेरे और कंपनी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था और कौन सा मामला मैंने जीता था। यह कहना गलत है कि Mr.TirlokiNath ने Mr.Narang को भुगतान किया था और मामले को सुलझा लिया था। तिर्लोकिनाथ शायद दस दिन, आईडी1 से पंद्रह दिन पहले आया होगा, क्योंकि वह अंबाला कैंट में एक घर बना रहा था। वह अपनी पत्नी के व्यवहार के खिलाफ शिकायत करता था। यह कहना गलत है कि घर को एसएमटी नहीं दिया जा रहा था।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अंबाला कैंट में तिरलोकीनाथ द्वारा अपने लिए बनाया गया लेकिन

माँ के निवास के लिए बनाया जा रहा था

3.2. 2 . अपीलार्थी की ओर से अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में, गवाह ने निम्नानुसार कहा: -

मॉडल टाउन, अंबाला शहर (आदर्श नगर) में केवल एक पैतृक घर था। कोई अन्य अचल (पैतृक) संपत्ति नहीं है। मुझे नहीं पता कि एक महीने में कितने दिन तिरलोकीनाथ दौरे पर रहता था। यह सही है कि वह अक्सर दौरे पर जाता था। 28.4.97 पर, मैं अपने भाई से मिलने के बाद दौरे पर गया था। मैंने उन्हें रात के समय या दिन के समय भी कोई टेलीफोन कॉल नहीं किया कि वह अपना सामान लेकर अंबाला कैंट क्यों नहीं पहुंचे।

जैसा कि उसने कहा। मैंने कभी भी 29.4.97 पर पूछताछ नहीं की या

इसके बाद तिर्लोकिनाथ से सामान के साथ अंबाला कैंट नहीं आने के लिए। हमने मामले के तथ्यों को जानने के लिए लगभग 15 मिनट तक पुलिस अधिकारियों से बात की। इसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ गए और रोने-रोने लगे। 2/3 महिलाएँ श्रीमती के दो भाई। गार्गी, श्रीमती के एक चाचा। गार्गी, और वृद्ध

जिस समय हम पहुँचे, उस समय व्यक्ति मौजूद थे। द.

गार्गी के बच्चे भी पहली मंजिल पर मौजूद थे। नहीं।

व्यक्ति तिरलोकीनाथ के शव के साथ बैठा था

जिस समय हम वहाँ गए थे-(स्वेच्छा से)। सुबह के समय पड़ोस से लगभग 25 लोग भी आए थे।

वहाँ, एएसआई द्वारा मेरा बयान दर्ज किए जाने के बाद। मुझे नहीं पता कि भूतल पर किरायेदार आए थे या नहीं।

वर्ष 1990 और उनके साथ मुकदमेबाजी वर्ष 1991 में शुरू हुई। मुझे नहीं पता कि पंचकुला में घर का निर्माण तिरलोकीनाथ और श्रीमती की संयुक्त आय से किया गया था या नहीं। गार्गी। यह कहना गलत है कि मैं घर गिरवी रखने के बाद भी पैसे पाने के लिए तिरलोकीनाथ के पीछे था। यह गलत है कि

विचाराधीन घर की कोई गिरवी और वहाँ कोई था

श्रीमती का विरोध। इस संबंध में गार्गी। यह कहना गलत है कि घर हड़पने के लिए मैंने गलत नाम दिया है

इस मामले में आरोपी। " 3 3

अन्य व्यक्तियों की ओर से इस गवाह पीडब्लू-7 से और जिरह की गई थी, जहां वह था, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके पुलिस बयानों का सामना करना पड़ा, जिसमें अदालत में किए गए कुछ दावे शामिल हैं। हालाँकि, सभी प्रमुख पहलुओं की गवाही यहाँ ऊपर के निष्कर्षण में हुई है, आगे की प्रतिपरीक्षा में उनके अन्य हिस्सों को नहीं निकाला जा रहा है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.3 . पीडब्लू-8 राधा पुरी (मृतक की बहन) कथित तौर पर

पीडब्लू-7 की गवाही दी। जाँच-इन-चीफ में उनके पदों के प्रासंगिक भागों को भी उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है:

" ..... तिरलोकीनाथ 25.1.1997 पर यमुना नगर आए थे और हमसे मिले थे। उस समय वह बहुत परेशान और परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया कि घर में हर समय तनावपूर्ण स्थिति रहती थी क्योंकि श्रीमती. गार्गी चाहते थे कि पंचकूला में घर को श्रीमती के नाम से बदला जाए। गार्गी। उन्हें आगे बताया गया कि वह श्रीमती से डरते थे। गार्गी और उसके भाइयों और उसे अपनी जान का खतरा था। उसने कहा कि वह घर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में रह रहा था और होटल से खाना ले रहा था। तिरलोकीनाथ ने कहा था कि दो-तीन बार श्रीमती ने उन पर हमला किया था। गार्गी और बच्चे और यह कि उसने खुद को कुछ बचा लिया था-कैसे या किसी और तरीके से। तिरलोकिनाथ ने कहा कि श्रीमती. गार्गी के अवैध संबंध थे। और उसने कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जाती थी। उन्होंने कहा कि श्रीमती से पूछताछ पर। गार्गी, वह हमेशा जवाब देती थी कि उन्हें इस तरह के सवाल पूछने की कोई चिंता नहीं है। तिरलोकीनाथ के अनुसार, उन्हें स्नान-कक्ष की सुविधा का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी। वह भूतल पर किरायेदारों के स्नान-कक्ष का उपयोग कर रहा था। लेकिन, हमने उसे शांत किया। हमें कभी भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया।

श्रीमती द्वारा पंचकुला में तिरलोकीनाथ। गार्गी।

1.5.97 पर, मुझे अपने भाई बृजभूषण के माध्यम से पता चला कि तिरलोकीनाथ ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि

जानकारी के अनुसार, पंचकुला के पड़ोसियों ने बताया कि

तिरलोकीनाथ ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए, मैं दूसरों के साथ पंचकूला पहुँचा और श्रीमती को देखा। गार्गी, उसके भाई-बहन घर की दूसरी मंजिल पर चाय का आनंद ले रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा भाई अस्पताल गया था और बच गया था और यही कारण था कि वे चाय का आनंद ले रहे थे। इसके बाद, पुलिस आई और हम ऊपर गए-सीढ़ियाँ, जहाँ शव पड़ा था।

तिरलोकीनाथ का शव छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। आई.

संदेह है कि श्रीमती। गर्गियाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मेरे भाई तिरलोकीनाथ की हत्या कर दी थी।

3.3. 1 . अपीलार्थी की ओर से अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस पी. डब्ल्यू.-8 राधा पुरी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा:

- एसएमटी। गार्गी वी. हरियाणा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" आई. डी. 1 पर, रात के लगभग 11 बजे, मैं सो रहा था और मेरे पति ने मुझे जगाया और टेलीफोन सुनकर बताया कि तिरलोकीनाथ अब दुनिया में नहीं हैं और रोने लगे। फिर मैं खुद, मेरे पति, मेरे भाई बृजभूषण और उनकी पत्नी और मेरी मां रात के समय पंचकूला जाते थे। कुछ पुलिस अधिकारी घर के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। ..... सबसे पहले हम पहली मंजिल पर गए, जहाँ हमने गार्गी, उसके भाइयों, बच्चों और रिश्तेदारों को देखा जिनसे मैं मिला।

पता नहीं चलता। मोहल्ला से कोई व्यक्ति नहीं था, जहाँ पुलिसकर्मी बैठे थे। ..... मुझे नहीं पता कि घर संख्या 1297, सेक्टर 15, पंचकूला जोड़ से बनाया गया था या नहीं।

श्रीमती की आय। गार्गी और उनके पति तिरलोकीनाथ। मुझे नहीं पता कि गार्गी ने कोई राशि ली थी या नहीं।

सरकार से अग्रिम। या नहीं।

..... मुझे नहीं पता कि श्रीमती। गार्गी और उनके पति के बीच 1994 में सौहार्दपूर्ण संबंध थे या नहीं, जब मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि मैं वहां एक रात रहा था और श्रीमती के दोस्त के रूप में ज्यादा बात नहीं करता था। गार्गी और उसके बच्चे अपने पति के साथ वहाँ आए थे। मुझे उन व्यक्तियों के नाम या अतीत याद नहीं हैं। आईडी1 पर जब मेरे भाई तिरलोकीनाथ यमुना नगर आए तो मैंने उन्हें बहुत परेशान पाया और उन्होंने मुझसे उनके व्यवहार के बारे में बात की।

श्रीमती. गार्गी। मैं अकेली थी। मैंने 25.1.97 से 1.5.97 की अवधि के बीच अपने पति को तथ्यों के बारे में बताया। मैंने उपरोक्त तथ्यों को किसी और को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि मेरे भाई बृजभूषण को उनकी शिक्षा, सेवा और उनके पालन-पोषण में मृतक तिरलोकीनाथ ने मदद की थी। यह सही है कि पैतृक घर मेरे भाई बृज भूषण ने बेच दिया था। हालाँकि, यह कहना गलत है कि उन्होंने घर की बिक्री से प्राप्त आय का दुरुपयोग किया। मुझे नहीं पता कि घर कब बेचा गया था। मुझे नहीं पता कि क्या तिरलोकीनाथ के पास कोई था

अंबाला कैंट में प्लॉट करें या न करें। उन्होंने फिर कहा, अंबाला कैंट का भूखंड मेरी मां के नाम पर है। उन्होंने फिर कहा, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि यह किसके नाम पर है। यह सही है कि मैंने अवैध संबंध में किसी भी हिस्से से कोई सत्यापन नहीं किया है।

श्रीमती के संबंध। गार्गी, जैसा कि मेरे भाई तिरलोकीनाथ ने बताया। अपने भाई के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में तिरलोकीनाथ ने मुझसे जो कहा था, उस पर मैंने विश्वास किया। गार्गी।

यह भी

[2019] 13 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माँ ने बताया। मेरे भाई ने यह सब सभी को बताया था। परिवार के सदस्य (sic)। मैंने वैशाली की बेटी से पूछा।

तिरलोकीनाथ की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने नहीं किया।

मुझे बताया कि हम वहाँ क्यों आए थे क्योंकि हम नहीं थे वहाँ फोन किया। "

3.4 . एएसआई अमर सिंह ने पीडब्लू-9 के रूप में साक्षय का नेतृत्व किया। वह यहाँ आया था

मौत की सूचना मिलने के बाद मौके पर

तिरलोकीनाथ। जानकारी प्राप्त करने के तरीके और समय के संबंध में, इस गवाह ने कहा कि "एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ था कि एक

हाउस नं. 1297, सेक्टर 15, पंचकूला में एक व्यक्ति ने अपराध किया था।

आत्महत्या। यह जानकारी 11.15 PM "पर प्राप्त हुई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-9 ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा:

" ..... श्रीमती. गार्गी और उनके बच्चे पहली मंजिल पर थे।

बच्चे। मैं पहले से ही औपचारिक जाँच कर रहा हूँ शिकायतकर्ता आदि का आगमन। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है

औपचारिक जाँच। पड़ोसी नहीं आए

मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैं जानकारी दे रहा हूँ फोन पर अधिकारी। मैं किसी स्वतंत्र गवाह के साथ शामिल नहीं हुआ।

इलाके से "।

(आपूर्ति को रेखांकित करना)

3.5 . इंस्पेक्टर जग परवेश, जिन्होंने प्रमुख भाग को अंजाम दिया

जाँच में, पीडब्लू-10 के रूप में जाँच की गई और उसकी जाँच में कहा गया कि वह 02.05.1997 पर अस्पताल पहुंचा, जहाँ उसे पीडब्लू-7 द्वारा दिया गया बयान EX.PH, पीडब्लू-9 द्वारा तैयार की गई जाँच रिपोर्ट Ex.PH 2 और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट EX.PA सौंपी गई। उन्होंने आवश्यक कार्यवाही तैयार की; धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए। दंड प्रक्रिया संहिता ('सी. आर. पी. सी.'); घटनास्थल से रक्त एकत्र किया; और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया। अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस जाँच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा: -

4 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से भी इस गवाह से जिरह की गई थी, जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ उसका सामना पुलिस के बयानों से भी किया गया था, जिसमें अदालत में किए गए कई दावे शामिल नहीं थे। हालाँकि, उनकी गवाही के सभी प्रमुख पहलू यहाँ ऊपर के निष्कर्षण में हुए हैं, आगे की प्रतिपरीक्षा में उनकी गवाही के अन्य हिस्सों को नहीं निकाला जा रहा है।

एसएमटी। गार्गी वी. हरियाणा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

. मैंने इस बारे में इलाके से सत्यापन किया

श्रीमती का चरित्र। गार्गी ने लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं किया। आई. उन लोगों के नाम याद न रखें।

मैंने मोहल्ला के 5/10 व्यक्तियों से सत्यापित किया। मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है।

रिपोर्ट यू/एस 173 Cr.PC में तथ्य।

तत्कालीन एस. एच. ओ. मैंने हिरासत में रहते हुए गार्गी से पूछताछ की।

उसने बताया था कि वह निर्दोष थी और उसने ऐसा नहीं किया था

कोई अपराध। गार्गी अभियुक्त ने मुझे बताया था कि वह नहीं थी

अपने पति के साथ कोई विवाद था और सौहार्दपूर्ण था

संबंध। मैं गार्गी के बच्चों के साथ आरोपी में शामिल हो गया।

जांच पड़ताल की। मैंने उनके बयान दर्ज नहीं किए हैं और

जैसे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। गार्गी से पूछताछ की गई

ज़िमिनी में दर्ज किया गया। मैंने उंगलियों के निशान नहीं लिए रस्सी। मैंने किसी और जगह से उंगलियों के निशान बिल्कुल नहीं लिए थे

जहाँ तिरलोकीनाथ का शव मिला था। हालांकि,

फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ ने जगह का दौरा किया। किसी ने मुझे नहीं बताया कि

बृज भूषण शिकायतकर्ता गार्गी को परेशान करता था और तिर्लोकिनाथो उनसे पैसे निकालता है। यह सही है कि

घर में सीढ़ियाँ दरवाजे के बाहर हैं। अगर दरवाज़ा बंद है,

कोई नहीं देख सकता कि कौन नीचे आ रहा है और कौन ऊपर आ रहा है।

मैंने घर में आगंतुकों के बारे में पूछताछ की

3/4 आई. डी. 1 से कुछ दिन पहले मुझे एक पंडित मिला था।

कि एक पंडित को हवन करने के लिए लाया गया था। मैंने बनाया। पड़ोस से मौखिक पूछताछ।

..... मैंने अन्य गवाहों यानी माँ के बयान दर्ज किए थे,

अस्पताल में मृतक की बहन और जीजा। ..... वहाँ

की निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक एक सीधी सीढ़ी है

गार्गी का घर और कोई ऊपर जाकर नीचे आ सकता है

पहली मंजिल पर किसी भी कमरे में प्रवेश किए बिना सीढ़ियाँ।

(आपूर्ति को रेखांकित करना)

3.6 . पीडब्लू-2 एच. एस. नरूला, उप प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस

पैनी, सेक्टर 22, चंडीगढ़ से अभियोजन पक्ष ने पूछताछ की कि मृतक अपनी कंपनी में सहायक के रूप में काम कर रहा था।कार्यपालक अधिकारी, जो अंत में 28.04.1997 पर कार्यालय में उपस्थित हुए। रास-परीक्षण में, इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृतक कीनाथ एक महीने में लगभग दो सप्ताह तक दौरे पर रहता था।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.7 . पीडब्लू-3 मनोहरलाल, जो एस. पी. कार्यालय, अंबाला में एक सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, ने साइट प्लान एक्स तैयार किया। उस स्थान का पीडी जहाँ

मृतक का शव मिला है। अपने साक्षय में, पीडब्लू-3 ने बताया कि दूसरी मंजिल पर कमरे के साथ संलग्न एक बाथरूम-सह-शौचालय था। दूसरी मंजिल की स्थल योजना (उदा. पीडी) स्नान/शौचालय के रूप में चिह्नित लगभग 10 फीट x 3 फीट जगह दिखाता है। 3.8 . पीडब्लू-4 संतलाल गुप्ता, तत्कालीन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एजी लेखा परीक्षा, पंजाब, चंडीगढ़ ने इस तथ्य की गवाही दी कि अपीलकर्ता अपने कार्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहा था; कि वह 28.04.1997 और 29.04.1997 पर आकस्मिक छुट्टी पर थी; और वह 30.04.1997 पर कार्यालय में उपस्थित हुई और

01.05.1997 . अपनी जिरह में, इस गवाह ने जानकारी की कमी व्यक्त की कि क्या अपीलार्थी अक्सर अपने पति के साथ कार्यालय आता था और कार्यालय के घंटों के बाद अपने पति के साथ चला जाता था। इस गवाह ने यह भी कहा कि श्रीमती के पति की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी। गार्गी या श्रीमती के पति का कोई अन्य संबंध। श्रीमती के खिलाफ गार्गी। गार्गी '।

3.9 . अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अन्य गवाहों से पूछताछ की गई थी

पीडब्लू-5 हेड कांस्टेबल रमेश कुमार; पीडब्लू-6 यू. जी. सी. बलदेव सिंह; पीडब्लू 11 शशि, जिन्होंने साइट पर तस्वीरें लीं; और पीडब्लू-12 एस. आई. ईश्वर चंदर, जिन्होंने मामले की आंशिक जांच भी की।

4. अपीलार्थी की ओर से, अभियोजन पक्ष के साक्षय की कई विशेषताओं को इन तर्कों के साथ उजागर किया गया है कि

पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की गवाही में स्पष्ट विसंगतियां, विरोधाभास, सुधार और मोड़; और यह कि जांच में कई विफलताएं हुई थीं। हम इन विशेषताओं और विवादों का उल्लेख करेंगे।

इसके बाद थोड़ी देर बाद।

रक्षा संस्करण और साक्षय

5. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा कि उसके पति ने उसके दौरे पर जाने के बारे में सूचित किया था।

29.04.1997 ; और कि उसने 28.04.1997 पर आकस्मिक छुट्टी ले ली थी और

29.04.1997 हेरिल के कारण-स्वास्थ्य। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और उनके पति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वे अपने बेटे के साथ बिस्तर साझा करेंगे। उसने यह भी कहा कि उसके खिलाफ मामला एक प्रेरित मामला था और वह अपने पति की हत्या करने की दोषी नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में दिए गए कुछ उत्तर उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाले जा सकते हैं:

एसएमटी। गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" क्यू: 5 यह आपके खिलाफ सबूत में आगे है कि तिरलोकीनाथ

ऊपर की मंजिल पर रहता था क्योंकि आपने उसे अनुमति नहीं दी है

अपने और अपने बच्चों के साथ रहें। वह चाय बनाने के लिए अपने कमरे में स्वतंत्र सिलेंडर का उपयोग कर रहा था और उसने आगे बताया था कि एक बार आपने उसे मारने के लिए गैस सिलेंडर खोला था। आपको क्या कहना है?

जवाब: यह गलत है। वह परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता था। मेरे और मेरे पति के पास एक साझा शयन कक्ष है और मेरा बेटा वैभव भी हमारे साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा था।

कमरा।

ऊपरी मंजिल का उपयोग कभी भी निवास के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता था। उसी का उपयोग एक दुकान के रूप में किया जा रहा था और कुछ समय के लिए एक पारिवारिक मित्र वहाँ रहता था।

क्यू: 6 यह आपके खिलाफ सबूत में आगे है कि 1.5.1997 की रात को लगभग 11.30 शाम को बृजभूषण पीडब्लू को एक यह संदेश कि पंचकुला में उनके भाई तिरलोकीनाथ नहीं रहे और उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने एक टेलीफोनिक संदेश दिया

उनके रिश्तेदार और उनके बहनोई ए. सी. पुरी,

बहन श्रीमती। राधा पुरी, माँ राज कुमारी और उनकी पत्नी मीनाक्षी पंचकूला गए और पाया कि दो एएसआई उक्त घर के बाहर बैठे थे। आपको क्या कहना है?

जवाब: यह गलत है। मैंने मृतक तिरलोकीनाथ के एक सहयोगी को सलाह दी कि वे सभी रिश्तेदारों को टेलीफोन पर सूचित करें और

दोस्तों और Mr.Bhutt ने मृत्यु की जानकारी toMr.Brij भूषण को दी।

***

***

***

क्यू: 8 यह आपके खिलाफ सबूत है कि पी. एस. सेक्टर-19 पंचकूला की पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली थी।

कि तिरलोकीनाथ का शव छत से लटका हुआ था

पंचकूला में हाउस नं. 1297/15 में पंखा। एएसआई अमर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी दी।

मृतक के परिजन। उन्होंने यह भी कहा कि

फोटोग्राफर, जिन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें लीं। नकारात्मक पूर्व हैं। पी6 से एक्स। पी8 और सकारात्मक एक्स हैं। पी9 से Ex.P11।

जवाब: यह गलत है। वास्तव में, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी लेकिन Mr.Bhutt द्वारा लाई गई थी।

***

***

क्यू: 12 यह आपके खिलाफ सबूत में आगे है कि तिरलोकीनाथ मृतक 28.4.1997 पर अपने कार्यालय में उपस्थित हुए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय नहीं आए और आप आकस्मिक अवकाश पर रहे। 28.4.1997 और 29.4.1997 और कार्यालय में उपस्थित हुए 30.4.1997 और 1.5.1997। इस आशय का पत्र Ex.PE है। क्या आपको कहना है?

जवाब: यह गलत है। हालाँकि, 29.4.97 सुबह मेरे पति मुझे सूचित किया कि उन्हें दौरे पर जाना है और वे वापस आ जाएंगे। 3.5.97 , शाम को और वह पहले भी अंबाला जाता चंडीगढ़/पंचकूला आ रहे हैं। मैं 28 और 29 तारीख को बीमार था। अप्रैल, 97.

***

***

***

क्यू: 15 आपके खिलाफ यह मामला क्यों बनाया गया है और क्यों गवाह आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं?

जवाब: - यह एक झूठा मामला है और पीडब्ल्यू ने गलत तरीके से जमा किया है। यह मामला बृज भूषण के कहने पर बनाया गया है। जो मेरे पति की संपत्ति हड़पना चाहते थे। क्यू: क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

जवाब: मैं निर्दोष हूँ। मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है बृज भूषण और उनकी बहन का मामला जो मुझसे पैसे चाहते थे

उस समय जब मुझे सुबह पुलिस ने ले लिया था

2.5.97 . "

5.1 . बचाव में चार गवाहों से पूछताछ की गई। प्रासंगिक में से एक

वह डी. डब्ल्यू.-3 सुरिंदर कुमार भट था, जिसे मृतक का पारिवारिक मित्र कहा जाता है। कमीनेशन-इन-चीफ में इस गवाह के प्रासंगिक दावे नीचे दिए गए हैं: -

" मैं पिछले लगभग 18 वर्षों से मृतक तिरलोकीनाथ को जानता था। आई.

जे एंड के राज्यक अछि। तिरलोकीनाथ भी उसी जगह के थे। इसलिए, मैं वे उसे अच्छी तरह से जानते थे। वह हमारे कार्यालय में काम कर रहे थे लेकिन उस समय

मृत्यु के समय वे हमारी बीमा कंपनी की सेक्टर 22 शाखा में थे। सेक्टर 22, हमारी बीमा कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थित है।

जहाँ मृतक मृत्यु के समय काम कर रहा था। वह घर।

तिरलोकीनाथ मेरे घर से डेढ़ फ़र्लांग की दूरी पर है।

सेक्टर 15, पंचकूला। मैं दोस्ताना भी था

तिर्लोकी नाथ के साथ घरेलू संबंध। मैं श्रीमती को जानता हूँ। गार्गी एसएमटी।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अदालत में पेश हुए आरोपी। वह मृतक तिरलोकीनाथ की पत्नी है। जब भी मैं तिरलोकीनाथ के घर जाता था, मुझे हमेशा तिरलोकीनाथ और श्रीमती के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मिलते थे। गार्गी

देवी। तिर्लोकिनाथ ने एक दोस्त के रूप में मेरे खिलाफ कभी शिकायत नहीं की

श्रीमती. गार्गी। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, श्रीमती। गार्गी मोहल्ला में अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद ले रही है। मैं छोटे बृजभूषण को जानता हूँ।

तिरलोकीनाथ के भाई की मृत्यु हो गई। तिरलोकीनाथ परेशान रहता था क्योंकि उसका छोटा भाई हमेशा उससे पैसे की मांग करता था। मुझे पता है कि मृतक तिरलोकीनाथ ने मदद की थी

बृज भूषण को लगभग 9 साल पहले बड़े प्रयासों से जम्मू-कश्मीर राज्य में बृजभूषण के लिए कुछ रोजगार मिला था। हमने एक सोसायटी का गठन किया है जिसे सामान्य बीमा कर्मचारी सहकारी बचत और अर्नर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। मैं उपाध्यक्ष हूँ

उक्त समाज से। त्रिलोकीनाथ अप्रैल, 1997 के मध्य में अपने भाई बृज भूषण के साथ मुझसे मिले और हमारे समाज से कुछ ऋण चाहते थे। लेकिन मैं कुछ दायित्वों के कारण मदद नहीं कर सका, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका। मुझे शाम 6:30-7 बजे 1.5.97 पर पता चला कि तिरलोकीनाथ ने आत्महत्या कर ली है। मैं तिरलोकीनाथ के घर गया। कई लोग इकट्ठे हुए थे तब। मैं रात 9:30 बजे 1.5.97 पर मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, पंचकूला गया। श्रीमती. गार्गी ने उनसे मिलने के बाद मुझे अंबाला में मृतक तिरलोकीनाथ के रिश्तेदारों को जानकारी देने के लिए टेलीफोन नंबर दिए।

लगभग 11 बजे, बृजभूषण को जानकारी दी गई जो 2.5.97 पर सुबह 4 बजे पंचकूला पहुंचे। दो-तीन पुलिस अधिकारी मेरे साथ तिरलोकीनाथ के आवास पर आए।

मृतक। मैं 1.5.96 (sic) की पूरी रात रहा।

और 2.5.97 पर सुबह 6:30 बजे मेरे घर के लिए रवाना हुए। मेरी उपस्थिति में कोई फोटोग्राफर वहाँ नहीं आया। मैंने उस कमरे में कोई गैस सिलेंडर नहीं देखा जहां तिरलोकीनाथ का शव मिला था। तिरलोकीनाथ का घर दो मंजिला इमारत है।

इसके अलावा भूतल। जिस समय तिरलोकीनाथ की मृत्यु हुई थी, उस समय कुछ किरायेदार भूतल पर रह रहे थे। उस किरायेदार ने घर खाली नहीं किया है, हालांकि अब वह नहीं रह रहा है। दूसरी मंजिल तक बाहरी सीढ़ियाँ हैं और कोई भी ऊपर जा सकता है-सीढ़ियाँ भूतल और पहली मंजिल में प्रवेश किए बिना। भूतल और पहली मंजिल के बीच ग्रिल का गेट है। यह सही है कि गेट का ताला दोनों तरफ से खोला जा सकता है। अंदर से भी और बाहर से भी। "[2019] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.1. 1 . अभियोजन पक्ष द्वारा इस गवाह से पूरी तरह से जिरह की गई, जहाँ उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा:

" मैं गार्गी अभियुक्त को अपने दिवंगत मित्र-तिरलोकीनाथ की पत्नी होने के नाते अपनी भाबी मानता हूँ। हमने अपनी क्रेडिट सोसाइटी का पूरा रिकॉर्ड रखा है। तिरलोकीनाथ ने हमारी सोसायटी से ऋण लेने के लिए लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया। यह कहना गलत है कि मृतक बृज भूषण के साथ घटना से एक महीने पहले कभी मेरे पास ऋण की किसी भी मांग के लिए नहीं आया था और मैं मैं केवल अभियुक्त का समर्थन करने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ। मैंने कोई पर्ची नहीं रखी है जिसमें मैंने अंबाला के टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं ताकि मृतक तिरलोकीनाथ के रिश्तेदारों की जानकारी मिल सके। यह.

यह सही है कि अगर पहली मंजिल और भूतल के बीच का द्वार दोनों तरफ से बंद है, तो कोई भी सीढ़ियों पर नहीं जा सकता है। जब मैं तिरलोकीनाथ के घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था।

और लोग वहाँ से आ-जा रहे थे। किसी ने नहीं बताया कि ऊपर के ग्रिल गेट का ताला या बोल्ट किसी ने तोड़ा था। यह भी सही है कि मेरी सहायता से तिरलोकीनाथ लगभग नौ साल पहले अपने भाई बृजभूषण जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए रोजगार प्राप्त करने में सफल रहे। यह उन्होंने एक भाई होने के नाते किया। इसके बाद मैंने बृजभूषण की मदद नहीं की। यह कहना गलत है कि मृतक तिरलोकीनाथ घर के ऊपरी कमरे में अकेला रह रहा था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रह रहा था। वास्तव में, वह पहली मंजिल पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा था। यह कहना गलत है कि श्रीमती। गार्गी मदद से अपने पति को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही थी

किसी न किसी बहाने से उसके भाइयों का।

5.2 . डी. डब्ल्यू.-4 अखिलेश भटनागर, सहायक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, चंडीगढ़ से मृतक तिरलोकीनाथ के दौरा कार्यक्रम 06.01.1997 से 31.01.1997 तक और कंपनी द्वारा भुगतान किए गए होटल खर्च बिलों के संबंध में पूछताछ की गई, जिससे पता चलता है कि मृतक की मृत्यु हो गई थी।

करनाल में 14.01.1997 से 01.02.1997 तक। अन्य गवाह डी. डब्ल्यू.-1 और डी. डब्ल्यू.-2 की गवाही इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

जैसा कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उनके रोजगार के संबंध में उठाई गई याचिका के संबंध में उनकी जांच की गई थी।

निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया

6. सत्र न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और दलीलों को खारिज करते हुए एस. एम. टी. से आग्रह किया।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अभियुक्त की ओर से यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितियों की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की गई थी, जिससे अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध सामने आया। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया

आपराधिक साजिश और हत्या के उपरोक्त अपराधों और रुपये के जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई। 2,000 / प्रत्येक डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ।

6.1 . विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की गला घोंटकर हत्या की गई थी, अनिवार्य रूप से चिकित्सा साक्षय के आधार पर और लटकते हुए शव की स्थिति और मौके पर अन्य विशेषताओं के संदर्भ में, जैसे कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया गया था। यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ने 28/आई. डी. 1 की दरम्यानी रात को अपने भाइयों के साथ अपराध किया था, अन्य बातों के साथ-साथ मृतक द्वारा अंबाला कैंट से प्रस्थान करने से पहले पी. डब्ल्यू.-7 को कथित रूप से दिए गए बयान में इसका आधार है। जहाँ उन्होंने अपने जीवन के प्रति भय व्यक्त किया, साथ ही इन तथ्यों में भी कि अपीलार्थी ने 28.04.1997 और 29.04.1997 के लिए अपने कार्यालय से छुट्टी ले ली थी और जब मृतक का शव मिला तो अपीलार्थी और उसके भाई शोक नहीं कर रहे थे।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के भाइयों को बरी करते हुए उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की

7. अपीलार्थी और उसके भाइयों द्वारा उपरोक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई अपील आपराधिक अपील संख्या 341-डी. बी. है।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 की आपराधिक अपील संख्या 359-डी. बी. पर एक साथ विचार किया गया और दिनांक 1 के सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि यह हत्या का मामला था, अनिवार्य रूप से चिकित्सा साक्षय और अपराध स्थल की विशेषताओं के संदर्भ में। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है जो: (क) जब अपीलार्थी मृतक तिरलोकीनाथ के साथ एक ही शयनकक्ष में रह रहा था, तो उस पर भारी जिम्मेदारी थी। अपने पति की मृत्यु की परिस्थितियों को समझाने के लिए, जिसे वह निर्वहन करने में विफल रही; (बी) अपीलार्थी का उद्देश्य अपने पति की हत्या करना था जब उनके और उनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे।

मृतक ने अपीलार्थी द्वारा मृत्यु किए जाने की आशंका व्यक्त की थी; (ग) अपीलार्थी का बाद का आचरण भी था

संदिग्ध, जहाँ वह पहली मंजिल पर अपने भाइयों के साथ चाय पीते हुए पाई गई थी, हालाँकि तिरलोकीनाथ का शव ऊपरी मंजिल पर चौबारा में रस्सी से लटका हुआ था; (घ) और अपीलार्थी ने कोई [2019] 13 एस. सी. आर. नहीं भेजा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिरलोकीनाथ के निधन की सूचना के तुरंत बाद उनके भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को जानकारी दी गई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के भाइयों ने मृतक तिरलोकीनाथ की हत्या और फांसी देने के लिए अपीलार्थी के साथ साजिश रची थी।

अपीलार्थी के भाइयों के खिलाफ अभियोजन मामले को खारिज करने के बाद भी, और यह पता लगाने के बाद भी कि विचाराधीन अपराध किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि अपीलार्थी मुख्य अपराधी के रूप में मामले में सही तरीके से दोषी ठहराया गया था, हालांकि जांच एजेंसी अन्य व्यक्तियों का पता लगाने में विफल रही जो इस अपराध में सहयोगी थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुकदमा

अदालत ने बचाव पक्ष के साक्षय पर चर्चा की थी और यह सही था

डी. डब्ल्यू.-3 सुरिंदर कुमार की गवाही पर अविश्वास किया, जिसे अपीलार्थी ने बाद के विचार के रूप में पेश किया था।

7.1 . उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय

अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन उसके भाइयों को इस आधार पर बरी कर दिया कि मृतक की हत्या की किसी भी साजिश के अस्तित्व को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" 21. ..... तिरलोकीनाथ एक ही शयनकक्ष साझा कर रहा था, जिसमें

गार्गी देवी सोती थीं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा था

धारा 313 के तहत। पी. सी. तिरलोकीनाथ का शव था

उसी घर में, चौबारा में लटका हुआ पाया गया। इस प्रकार,

श्रीमती पर भारी भार था। गार्गी परिस्थिति को समझाने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने केवल अपने बयान में कहा,

धारा 313 क्र. पी. सी. कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था

तत्काल मामला, और यह कि पूरी जांच, पर था

बृज भूषण का उदाहरण, पीडब्लू. 7. इसलिए, उसने प्रस्तुत नहीं किया

परिस्थितियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण, जिसके कारण तिरलोकीनाथ की मृत्यु। यह स्पष्ट रूप से उसकी गलती साबित करता है।

***

***

***

23. तिरलोकीनाथ और उनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे। उसकी पत्नी। बृज भूषण के बयान से, पीडब्लू-7 और

राधा पुरी, पीडब्लू-8 यह साबित हुआ कि तिरलोकीनाथ तनावग्रस्त था

राधा पुरी, पीडब्लू-8 के बयान में भी आते हैं कि तिरलोकीनाथ को डर था कि एक दिन उसकी हत्या कर दी जाएगी।

जब एसएमटी। गार्गी वी. हरियाणा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

तिरलोकीनाथ राधा पुरी, उनकी बहन और उनके बहनोई से मिले।

अंबाला में उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें खतरे की आशंका है

श्रीमती के हाथों उनका जीवन। गार्गी उनकी पत्नी। यहाँ तक कि, यह स्पष्ट है,

बृज भूषण, पीडब्लू 7 के बयान से कि तिरलोकीनाथ का उनकी पत्नी श्रीमती द्वारा इलाज किया जा रहा था। गार्गी। यहां तक कि सुबह जब तिरलोकीनाथ अंबाला में बृज भूषण के घर से चंडीगढ़ के लिए निकले, तो उन्होंने उन्हें बताया कि यह पंचकूला की उनकी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि वह अपने सामान के साथ आ रहे होंगे।

अंबाला में स्थायी रूप से बसने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी पत्नी श्रीमती द्वारा उनकी हत्या कर दी जाएगी। गार्गी। ये अंतिम

उनके द्वारा अपने भाई बृज भूषण से 28.4.1997 पर बोले गए शब्द

सुबह, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसकी मृत्यु घोषणा के दायरे में आती है। यह तनावपूर्ण संबंधों के कारण था, त्रिलोकीनाथ की पत्नी श्रीमती हैं। गार्गी ने कहा कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया।

छत के पंखे के साथ शरीर (एसआईसी)। श्रीमती. गार्गी निश्चित रूप से एक त्रिलोकीनाथ की हत्या करने का मकसद, कारणों से

यहाँ पहले उल्लेख किया गया है। उद्देश्य एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मामले में, जो परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है।

श्रीमती का दोष। गार्गी, आरोपी इस प्रकार साबित हो जाता है।

***

***

***

29. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कहा जा सकता है कि इस मामले में अपराध केवल एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। श्रीमती गार्गी ने तिरलोकीनाथ के शव को लटकाने में कुछ अन्य व्यक्तियों की मदद ली होगी।

उसका गला घोंट दिया, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि वे व्यक्ति कौन थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह भी साबित नहीं हुआ कि आरोपी शुहाब तिवारी, रमेश तिवारी और रजनीश तिवारी हैं।

Smt.Gargi के साथ साजिश रची और उसके अनुसरण में तिरलोकीनाथ की हत्या को अंजाम दिया। वे लोग कौन थे,

यह पता लगाने के लिए जांच एजेंसी के लिए था। भले ही,

प्रमुख अपराधी होने के नाते उचित रूप से दोषी ठहराया गया था और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए सजा "

(आपूर्ति को रेखांकित करना)

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिद्वंद्वी विवाद

8. उपरोक्त निर्णय और आदेश का निर्धारण करने के लिए विद्वान वकील

अपीलार्थी ने जोरदार तर्क दिया है कि अपीलार्थी को उसके ससुराल वालों द्वारा इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मृतक की संपत्ति हड़पना था, जबकि वास्तविक अपराधी अभियोजन पक्ष से बच गए हैं। विद्वान वकील ने इन दलीलों पर विस्तार से बताया कि मृतक तिरलोकी नाथ और उनके भाई, पीडब्लू-7 बृज भूषण (शिकायतकर्ता) के बीच संबंध संपत्ति विवाद के कारण तनावपूर्ण थे, क्योंकि एक समय पर, उनकी मां ने मृतक के पक्ष में सभी संपत्तियों को वसीयत कर दिया था, जिसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार नहीं किया था। और मृतक को अंबाला कैंट में संपत्ति मिली। उनके असामयिक निधन से ठीक एक महीने पहले उनके नाम पर पंजीकरण कराया गया था। विद्वान वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए कहा है कि अपीलार्थी और मृतक की शादी को लगभग 1 वर्ष हो गए थे; उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे और वे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे थे। विद्वान वकील ने विशेष रूप से अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया है कि वह और उसका मृत पति अपने बेटे के साथ शयनकक्ष साझा कर रहे थे और घर की ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे का उपयोग दुकान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

8.1 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि यदि शिकायतकर्ता (पीडब्लू-7) को आईडी1 पर पता था कि मृतक को अपनी जान को किसी प्रकार का खतरा है और मृतक ने कहा था कि वह अपना सामान लेकर लौट रहा है, तो यह समझ से परे है कि इस गवाह ने तीन दिनों की अवधि तक और जब तक उसे मृत्यु की खबर नहीं मिली, तब तक मृतक के ठिकाने का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि शिकायतकर्ता के कई दोष थे; कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे; और उसके परिवार के सदस्यों ने एक समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशित किया था कि कोई भी उसके साथ काम कर रहा है।

ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। 8.2 . विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्षय के इर्द-गिर्द टिका हुआ है लेकिन सहयोगी से कोई जुड़ाव नहीं है

अपने पति की हत्या के लिए अपीलार्थी; और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि साक्षय एकत्र करते समय पुलिस की ओर से चूक हुई थी, जहां शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के आने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी और घटनास्थल पर एकत्र हुए व्यक्तियों के बयान दर्ज नहीं किए गए थे।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

8.3 . विद्वान वकील ने इस निष्कर्ष पर भी हमला किया है कि यह गला घोंटने और इसलिए हत्या का मामला था

प्रस्तुतियाँ कि चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार, गला घोंटने के मामले में, मृत शरीर पर कुछ खरोंच, घर्षण, चोट आदि पाए जाएंगे और हाइड हड्डी टूटी हुई पाई जाएगी, लेकिन वर्तमान मामले में, न तो ऐसे कोई निशान थे और न ही हाइड हड्डी टूटी थी।

8.4 . विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि मृतक का गला घोंटना और फिर उसके शव को छत के पंखे से लटकाना अकेले एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था और यह पूरी तरह से असंभव है कि इस तरह के कार्यों को अपीलार्थी जैसी कमजोर महिला द्वारा किया गया था। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थियों के भाइयों के बरी होने के साथ, परिस्थितियों की कथित श्रृंखला भौतिक बिंदु पर टूट जाती है और अपीलार्थी केवल इसी मामले में बरी होने का हकदार है।

8.5 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख किया है, जिनमें राजकुमार बनाम. एम. पी. का राज्य : (2004) 12 एस. सी. सी. 77; सोनवीर उर्फ सोमवीर बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली): (2018) 8 एस. सी. सी. 24; रमेश और अन्य बनाम। राजस्थान राज्यः (2011) 3 एस. सी. सी. 685; एस. के. यूसुफ बनाम। पश्चिम बंगाल राज्यः (2011) 11 एस. सी. सी. 754; और सावल दास बनाम। बिहार राज्यः (1974) 4 एससीसी 193।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने विधिवत विरोध किया है

अभिलेख पर साक्षय और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ।

9.1 . जहाँ तक यह सवाल है कि क्या यह हत्या का मामला था या मृतक ने आत्महत्या की थी, विद्वान वकील ने कहा है

तर्क दिया कि आत्महत्या के मामले में, शव एक निलंबित स्थिति में होगा, पैर फर्श तक नहीं पहुंचेंगे और घुटने भी झुकेंगे नहीं, जैसा कि वर्तमान मामले में पाया गया है। विद्वान वकील ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष का समर्थन किया है कि आत्महत्या के लगभग सभी मामलों में दरवाजा खुला रखने के बजाय अंदर से बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान मामले का परिदृश्य रहा है। विद्वान वकील ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि यह केवल एक संयोग नहीं था कि अपीलकर्ता उसी अवधि के दौरान आकस्मिक अवकाश पर रहा जब मृतक की मृत्यु हो गई थी; और जब मृतक को अंतिम बार मृत व्यक्ति के साथ देखा गया था।

29.04.1997 पर अपीलार्थी और जब उसकी लाश उनके अपने घर में 01.05.1997 पर लटकी हुई पाई गई, तो उस पर यह समझाने का बोझ भारी था कि क्या [2019] 13 एस. सी. आर.

मृतक कहीं और गया था, लेकिन वह इस तरह के महत्वपूर्ण बोझ को उठाने में पूरी तरह से विफल रही है। विद्वान वकील के अनुसार, परिस्थितियों की समग्रता में, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपीलार्थी ने अपने साथी के साथ मृतक का गला घोंट दिया था और आत्महत्या के दृश्य को छिपाने के लिए उसे रस्सी से लटका दिया था।

9.2 . इस तर्क के संबंध में कि शिकायतकर्ता ने अंबाला कैंट छोड़ने के बाद तीन दिनों तक मृतक से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया था। , यह जानने के बावजूद कि मृतक को अपनी जान को खतरा है, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यह घटना वर्ष 1997 में हुई थी जब मोबाइल फोन और कनेक्टिविटी सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी और घर की ऊपरी मंजिल पर कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं था। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, दी गई परिस्थितियों में, पीडब्लू-7 की ओर से अपने भाई से संपर्क करने के प्रयासों की कमी अभियोजन मामले को गलत नहीं ठहराएगी।

9.3 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में कुछ मामूली और अप्रासंगिक भिन्नताओं या कुछ अतिरिक्त साक्षय की कमी जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि भौतिक पहलू रिकॉर्ड पर स्थापित हैं; और सभी सिद्ध परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं, जो अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर किसी भी अन्य परिकल्पना को खारिज करती हैं और इसलिए, उसे उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

प्रारंभिक अवलोकन

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार करने और कानून के संदर्भ में पूरे रिकॉर्ड को स्कैन करने के बाद

लागू होते हुए, हम चर्चा की शुरुआत में यह कहने के लिए प्रेरित हैं कि

मामला, जाँच में कई बुनियादी कमियाँ और अभियोजन प्रस्तावों में कई खामियों को निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा भी नजरअंदाज कर दिया गया। मामले की समग्र समझ में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के अनुमानित प्रस्तावों को स्वीकार करना और अपीलार्थी को उसके पति की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

परिस्थितियों और के लिए बिंदु पर भरोसा किया

दृढ़ संकल्प 11. यह तुरंत स्पष्ट है कि इस मामले में, भौतिक प्रश्नों के उत्तर में कोई प्रत्यक्ष साक्षय उपलब्ध नहीं है कि कैसे मृतक का पति

अपीलार्थी की असामयिक मृत्यु हो गई; और यदि यह एस. एम. टी. का मामला नहीं था।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी के खिलाफ संदेह से परे स्थापित किया गया है, हालांकि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार नहीं किया है कि अपीलार्थी के भाई अपराध में साजिशकर्ता और सहयोगी थे। यह दावा किया जाता है अपीलार्थी की ओर से कि यह आत्महत्या का मामला था; कि अपीलार्थी की ओर से अपने पति को खत्म करने का कोई उद्देश्य नहीं था, जिसके साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वह एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहा था; कि मृतक और अपीलार्थी अंत में 29.04.1997 पर एक-दूसरे के साथ थे जब मृतक ने उसे सूचित किया कि वह

दौरे पर जा रहा होगा और 03.05.1997 द्वारा लौट रहा होगा; और यह कि अपीलार्थी का अभियोजन उसके पति के भाई द्वारा चलाया गया था, जो संपत्ति पर नजर रख रहा था। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष के अनुसार, महत्वपूर्ण परिस्थितियां यह स्थापित करती हैं कि हत्या की मौत को गुप्त रूप से आत्महत्या के मामले के रूप में दिखाने की मांग की गई थी; कि अपीलार्थी का अपने पति को मारने का उद्देश्य और इरादा था; कि मृतक अंत में अपीलार्थी के साथ था; और यह कि अपीलार्थी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि उसके पति की हत्या कैसे की गई और उसे फांसी पर लटका दिया गया, हालांकि शव उसी घर में पाया गया था जहां मृतक उसके साथ रह रहा था।

11.1 . दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के लिए इस मामले में जो तर्क दिया गया है वह यह है कि कारण की पूरी श्रृंखला सभी से परे स्थापित की गई है।

उचित संदेह। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्षय ने अपीलार्थी के खिलाफ निम्नलिखित प्रमुख कारकों को स्पष्ट रूप से सामने लाया है:

ग) कि मृतक को अपनी पत्नी, अपीलार्थी के हाथों अपने जीवन के लिए आसन्न खतरा था और उसने व्यक्त किया था; घ) कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और वह यह समझाने में विफल रही थी कि मृतक का अंत कैसे हुआ; और

ई) कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु 24 से

72 02.05.1997 और अपीलार्थी [2019] 13 एस. सी. आर. पर पोस्टमॉर्टम परीक्षा से कुछ घंटे पहले।

इस अवधि के दौरान वह घर पर थी, क्योंकि वह छुट्टी पर थी। 28.04.1997 और 29.04.1997।

11.2 . सवाल यह है कि क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि उपरोक्त परिस्थितियां सही हैं।

उचित संदेह से परे स्थापित और एक पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं, जो अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना को खारिज करते हैं?

परिस्थितिजन्य साक्षय को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

12. जब वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्षय के इर्द-गिर्द घूमता है, तो इसमें शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितिजन्य साक्षय और उसकी सराहना को नियंत्रित करने वाले कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा।

13. यह सामान्य बात है कि न्यायिक कार्यवाही में सबूत सबूत पेश करने के माध्यम से बनाया जाता है, जो या तो मौखिक या मौखिक हो सकता है। वृत्तचित्र। जहाँ तक इसकी प्रकृति का संबंध है, सबूत या तो निदेशक है।

परिस्थितिजन्य। प्रत्यक्ष साक्षय एक विशेष के अस्तित्व को साबित करता है

तथ्य जो किसी दस्तावेज़ या वस्तु से निकलता है और/या गवाह द्वारा क्या देखा गया है। परिस्थितिजन्य साक्षय एक है

जिसके द्वारा अन्य तथ्यों को साबित किया जाता है जिनसे मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व का या तो तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, या कम से कम अधिक संभावित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

13.1 . इस न्यायालय ने कई निर्णयों में किसी विशेष तथ्य को साबित करने से पहले आवश्यक बातों को समझाया है -

अन्य तथ्यों या तथ्यों का प्रमाण; और इन सिद्धांतों की व्याख्या की है कि किसी आपराधिक मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय से कैसे संपर्क किया जाना चाहिए। हमें इस विषय पर मामले के कानून पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है; केवल प्रासंगिक निर्णयों का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।

13.2 . चांदमल और अन्र के मामले में। वी. राजस्थान राज्यः (1976) 1 एस. सी. सी. 621, इस न्यायालय ने कहाः

" 14. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्षय को तीन परीक्षणों को पूरा करना चाहिए।

सबसे पहले, जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें दृढ़ता से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, ये परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए। तीसरी बात,

3 G.W.Paton द्वारा न्यायशास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक, चौथा संस्करण, पृष्ठ 598।

किसी भी उचित पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए परिकल्पना अभियुक्त के अपराध को बचाती है "।

13.3 . शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम के मामले में। की स्थिति

एक मामले में आवश्यक प्रमाण के मानक के उदाहरण कई पिछले निर्णयों के संदर्भ में स्थापित किए जाने की मांग की जाती है,हनुमंत बनाम के मामले में। मध्य प्रदेश राज्यः

1952 एससी 343, निम्नलिखित में -

" 153.इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि

उनके खिलाफ एक मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

एक अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता हैः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" हो सकती हैं

स्थापित किया गया। केवल एक व्याकरण नहीं है बल्कि एक कानूनी है

"साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच का अंतर जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में माना गया था। महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793] जहाँ अवलोकन किए गए थेः [एससीसी पैरा 19, पी। 807 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.

1047]

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को होना चाहिए और न कि केवल अदालत के समक्ष दोषी हो सकता है। दोषी ठहरा सकते हैं और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

निश्चित निष्कर्षों से।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि

कि अभियुक्त दोषी है, (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

साबित करने के लिए एक, और (5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े।

अभियुक्त की निर्दोषता के साथ और यह दिखाना चाहिए कि कुल मिलाकर

मानव संभाव्यता अधिनियम द्वारा किया गया होना चाहिए

अभियुक्त।

154. अगर हम ऐसा कहें तो ये पाँच सुनहरे सिद्धांत हैं -

परिस्थितिजन्य आधार पर किसी मामले के प्रमाण की पंचशील

सबूत "।

13.4 . अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय में

सोनवीर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अन्य उद्धृत निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, निम्नलिखित सिद्धांतों की ओर इशारा किया:

" 82 ..... परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का कानून

अच्छी तरह से व्यवस्थित है। रमेश बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है। राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी 685 जहाँ

पैरा 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है: (एस. सी. सी पी. 693)

" 17. इससे पहले कि हम मामले पर आगे बढ़ें, यह ध्यान में रखना होगा कि यह मामला परिस्थिति पर निर्भर करता है

साक्ष्य और, इस प्रकार, तय किए गए कानून के अनुसार, प्रत्येक

परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और आगे परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और परिपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के अपराध का एकमात्र अनुमान उसी से निकल सके। साथ ही, बचाव की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए।

संस्करण सच है।

13.5 . इस प्रकार, अपराध के संदर्भ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अनिवार्य रूप से अर्थ है ऐसे तथ्य और आसपास के कारक जो इंगित करते हैं।

अभियुक्त अभियुक्त की संलिप्तता की ओर; और फिर, परिस्थितियों की श्रृंखला का अर्थ है तथ्यों और आसपास के कारकों को इस तरह से निर्विवाद रूप से जोड़ना कि वे किसी अन्य सिद्धांत या संभावना या परिकल्पना को खारिज करते हुए केवल अभियुक्त अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं।

13.6 . उपरोक्त सिद्धांतों के लिए आकस्मिक, जो न तो किसी संदेह के हैं और न ही किसी विवाद के हैं, एस. एम. टी. को ध्यान में रखना लाभदायक होगा।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

परिस्थितिजन्य साक्षय के संबंध में जी. डब्ल्यू. पैटन द्वारा दर्ज की गई चेतावनी इस प्रकार:

" दूसरी ओर, परिस्थितियाँ गुमराह कर सकती हैं या गलत करने वाले द्वारा संदेह करने के लिए गलत सुराग दिए जा सकते हैं।

एक और "। 7

14. परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर इस मामले से निपटने के दौरान निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदु और बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम अभिलेख की जांच करते हैं, तो कई जाँच और अभियोजन पक्ष के साक्षय में कमियाँ और खामियाँ तुरंत प्रकट हो जाती हैं। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्षय का विश्लेषण करने से पहले, कमियों की ऐसी विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो अभिलेख के सामने स्पष्ट हैं और जिनमें शामिल प्रश्नों पर एक सामग्री निहित है।

15. वर्तमान मामले में, जांच एजेंसी का दृष्टिकोण ही इतनी अस्पष्टताओं में डूबा हुआ था कि सवाल उठ जाता है कि क्या अपराध की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की गई थी? 15.1 . शुरुआत में ही जांच एजेंसी द्वारा इस मामले से निपटने के तरीके ने कुछ गंभीर प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया है, यानी कि पुलिस को अपीलार्थी के पति के शव के बारे में कब, किस तरीके से और किसके माध्यम से जानकारी मिली? पीडब्लू-9 ने अदालत के समक्ष अपनी गवाही में आसानी से कहा कि ऐसी जानकारी "टेलीफोनिक संदेश" के माध्यम से प्राप्त की गई थी, लेकिन यह नहीं बताया कि

ऐसे सूचना देने वाले का विवरण। रोजनामचा या सामान्य डायरी में यह दिखाने के लिए कोई प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई है कि जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि,

02.05.1997 (EX) पर सुबह 5:30 बजे मामले में तैयार किए गए पहले नोट में। पी. एच./1), पी. डब्ल्यू.-9 ने केवल यह कहा कि सूचना पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। यह तथ्य कि यह एक टेलीफोनिक जानकारी थी, स्पष्ट रूप से स्पष्ट है

आइबीआइडी।, पृष्ठ 598

7 यह आपराधिक कानून में 514 के संदर्भ में C.S.Kenny द्वारा कहा गया है जिसमें,

यह चेतावनी दी जाती है कि: हालाँकि 'परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोल सकतीं', वे गुमराह कर सकती हैं। हो सकता है कि उन्हें गुमराह करने के उद्देश्य से भी लाया गया हो, जैसे कि जब जोसेफ का चांदी का प्याला बेंजामिन के बोरे में रखा गया था, या जब लेडी मैकबेथ ने 'सो रहे दूल्हे को खून से लथपथ' किया था।

Ex.PH/1 में गायब है। इस पहलू का मामले में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है क्योंकि बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-3 ने विशेष रूप से इस तथ्य की पुष्टि की कि वह पहला व्यक्ति था जिसे अपीलार्थी ने तिरलोकीनाथ की मृत्यु के बारे में सूचित किया था और वह लगभग 9:30 बजे पुलिस स्टेशन गया और जानकारी का खुलासा किया। उन्होंने आगे कहा कि वे पुलिस के साथ घटनास्थल पर गए और पीडब्लू-7 को जानकारी दी।

15.2 . यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-7 के अनुसार, उन्हें दोपहर लगभग 11.30 पर एक टी. आर. मल्होत्रा से जानकारी मिली थी, जिसे बदले में यह जानकारी मिली थी।

मृतक के एक सहयोगी से टेलीफोन पर जानकारी। न तो उक्त टी. आर. मल्होत्रा से कोई पूछताछ की गई और न ही मृतक के उस सहयोगी का पता लगाने के लिए कोई अन्य प्रयास किया गया जिसने उसे फोन किया था।

15.3 . अभियोजन पक्ष के साक्षय में इस तरह के अंतर के बावजूद, डी. डब्ल्यू.-3 सुरिंदर कुमार की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

साइट पर। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई जांच करने का प्रयास किया था शिकायतकर्ता और मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों के आने तक किसी भी व्यक्ति से। भले ही यह माना जाए कि मृतक के परिवार के अन्य सदस्य रास्ते में थे और एएसआई को इस तथ्य के बारे में पता था, लेकिन कुछ भी उन्हें जांच के अपने कर्तव्यों में भाग लेने से नहीं रोक पाया था। अजीब बात है कि पहला पंचनामा भी शिकायतकर्ता के पहुंचने के बाद ही तैयार किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक के बच्चों के बयान क्यों नहीं लिए गए, जबकि उनकी 16 साल की बेटी एसएमटी है।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उम्र, साइट पर बहुत मौजूद था। इसका कारण भी नहीं बताया गया है। इस तरह के मामले में, संदिग्ध लहजे में, पीडब्लू-9 ने किसी भी पड़ोसी से कोई पूछताछ नहीं की, जो साइट पर उपलब्ध थे।

(पीडब्लू-8) के दावे के अनुसार? यह कहना मुश्किल है कि इस जांच अधिकारी (पीडब्लू-9) का आचरण पूरी तरह से संदेह से मुक्त था। 15.5 . प्रारंभिक चरण में उपरोक्त उल्लिखित चूक के अलावा, हम बिल्कुल कोई कारण नहीं पाते हैं कि जांच अधिकारी पीडब्लू-10, यहां तक कि

5-10 व्यक्तियों से अपीलार्थी के चरित्र के बारे में इलाके में कथित रूप से पूछताछ करने के बाद, न तो इस तथ्य का उल्लेख किया गया है

जाँच रिपोर्ट में न तो उनमें से किसी का बयान दर्ज किया गया। इस जाँच अधिकारी ने आगे कहा कि वे जाँच में अपीलार्थी के बच्चों के साथ शामिल हुए लेकिन उनके बयान भी दर्ज नहीं किए। इस अधिकारी ने भी किरायेदार का बयान लेने की जहमत नहीं उठाई, आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ विचाराधीन इमारत से संबंधित कारकों को देखते हुए, जिनकी गवाही का बहुत महत्व रहा होगा।

15.6 . इसके अलावा, इस मामले में, जहां यह प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा था

कि स्थल पर उपलब्ध सुराग वास्तविक दोषियों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि जांच अधिकारी ने उनसे उंगलियों के निशान प्राप्त करने के लिए प्राथमिक देखभाल भी नहीं की। भौतिक वस्तुओं का और उनका ठीक से विश्लेषण कराना। द इन्वेस्टीगेशन

अधिकारी (पीडब्लू-10) ने यह स्वीकार करते हुए कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने साइट का दौरा किया था, दंड से मुक्ति के साथ कहा है कि उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिया था। यह नहीं कहा गया है कि तथाकथित विशेषज्ञ ने व्यक्त किया

किसी भी कारण से ऐसे प्रिंट एकत्र करने में असमर्थता। यह केवल किसी के लिए आश्चर्य करने के लिए छोड़ दिया गया है कि तथाकथित फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने किस उद्देश्य से साइट का दौरा किया, अगर कोई प्रिंट नहीं लिया जाना था!

15.7 . उपर्युक्त अस्पष्टीकृत कमियाँ, बलपूर्वक,

यह इंगित करता है कि इस मामले में, जांच या तो पूर्व-परिकल्पित धारणाओं के साथ या किसी विशेष परिणाम को ध्यान में रखते हुए की गई थी। यह मुश्किल है यह स्वीकार करें कि इस मामले में जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष रही थी। एक अन्य दृष्टिकोण से, तथ्यों पर और इस मामले की परिस्थितियों में, जांच एजेंसी की ओर से चूक को केवल निरीक्षण के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये चूक, बलपूर्वक, अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्षों को जन्म देती हैं।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. इस मामले में, यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि हालांकि

अभियोजन पक्ष ने मृतक के अन्य रिश्तेदारों को गवाह के रूप में उद्धृत किया था।

जिसमें उनकी मां और बहनोई (पीडब्लू-8 के पति-जिन्होंने अन्यथा जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे) शामिल थे, लेकिन जांच से पहले उनकी जांच नहीं की।

अदालत। प्रासंगिक गवाहों को रोके रखने से केवल यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकल सकता है कि यदि उनकी जांच की जाती, तो वे अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते मामला। यह इस तथ्य के अलावा है कि जांच एजेंसी ने टाल दिया

जांच में किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल करें और कानून के कानूनों के अलावा अन्य व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ नहीं की।

अपीलार्थी।

17. इसके ऊपर, हमने केवल कुछ व्यापक पहलुओं का संकेत दिया है

अभियोजन पक्ष के मामले में कमियां और खामियां जो अन्यथा परिस्थितिजन्य साक्षय और द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत पर आधारित हैं

मृतक का भाई (पीडब्लू-7), जैसा कि उसकी बहन (पीडब्लू-8) द्वारा समर्थित है। पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की गहन जांच की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके खिलाफ मामला

अपीलार्थी उचित संदेह से परे स्थापित किया जाता है; और यदि प्रतिकूल निष्कर्षों के तत्व अभियोजन मामले को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

आत्महत्या या आत्महत्या

18. जैसा कि देखा गया है, इस मामले में पहला सवाल जो हमें चिंतित करता है वह है

कि क्या तिरलोकीनाथ की मृत्यु आत्महत्या थी या यह हत्या का मामला था। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी वापस आ गया है समवर्ती निष्कर्षों से पता चलता है कि यह हत्या की मौत का मामला था। दोनों

न्यायालय अनिवार्य रूप से चिकित्सा के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंचे

राय है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था; और

आसपास के कुछ कारकों के संदर्भ में भी कि पैर

लटकता हुआ शव फर्श को छू रहा था; घुटने मुड़े हुए थे; चप्पलें नहीं हटाई गई थीं; और विचाराधीन कमरा पूरी तरह से खुला था।

ऐसे निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि -

चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार, खरोंच, घर्षण, चोट आदि आमतौर पर मौजूद होते हैं और हाइड हड्डी आमतौर पर टूटी हुई पाई जाती है। गला घोंटना लेकिन, वर्तमान मामले में, इस तरह के कोई निशान नहीं थे और न ही हाइड हड्डी टूटी थी।

18.1 . हमने पीडब्लू की गवाही की बारीकी से जांच की है

1Dr.UshaBansal, जो उस बोर्ड के सदस्यों में से एक थे जिसने पोस्टमॉर्टम किया था। हमने एस. एम. टी. की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा है।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

साइट योजना, पूछताछ रिपोर्ट और तस्वीरों से ध्यान देने योग्य

रिकॉर्ड में रखा गया। प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद, हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में कुछ भी दुर्बलता नहीं पाते हैं कि

गला घोंटने का मामला था, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से देखा जा सकता है कि शव में "अच्छी तरह से परिभाषित अवसादग्रस्त लिगचर" था

3 से. मी. मापने वाला निशान। गर्दन के बाईं ओर एक गाँठ के साथ थायराइड उपास्थि के चारों ओर गर्दन को घेरते हुए देखा गया और यह बंधन चिह्न प्रकृति में एंटी-मॉर्टम था। दूसरा बंधन चिह्न गर्दन के बाईं ओर डेढ़ सेंटीमीटर चौड़ा था और वह प्रकृति में पोस्टमॉर्टम था। बोर्ड ने निस्संदेह यह राय व्यक्त की थी कि मृत्यु का कारण "गला घोंटने के कारण दम घुटना" था। इस तरह की स्पष्ट चिकित्सा राय के साथ-साथ विचाराधीन कमरे में निलंबित शव के आसपास की सभी प्रासंगिक विशेषताओं के साथ, यह कहना मुश्किल है कि यह आत्महत्या का मामला केवल इसलिए था क्योंकि हाइड हड्डी नहीं टूटी थी या क्योंकि घर्षण/खरोंच जैसे प्रतिरोध के निशान नहीं थे। प्रतिरोध के निशानों की उपस्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें दोषियों द्वारा गला घोंटने के कार्य को निष्पादित करने की विधि और तरीका शामिल है; और ऐसे निशानों का केवल अभाव मामले का निर्णायक नहीं हो सकता है। समान रूप से, यह चिकित्सा न्यायशास्त्र में एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है कि गला घोंटने के सभी मामलों में, हाइड हड्डी हमेशा टूट जाएगी। इसके विपरीत, चिकित्सा न्यायशास्त्र बताता है कि ऐसे मामलों के केवल एक अंश में, हाइड हड्डी का फ्रैक्चर पाया जाता है। 8 दूसरे शब्दों में, हाइड हड्डी के फ्रैक्चर की अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि मृतक की मौत गला घोंटने से नहीं हुई थी।

18.2 . पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हम

विवादित निर्णयों में निष्कर्षों की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है कि मृतक तिरलोकीनाथ की गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसके बाद, उनके शव को कमरे में छत के पंखे से लटका दिया गया था।

* मोदी: मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की एक पाठ्यपुस्तक, 26 वां संस्करण पृष्ठ 529 जहां यह भी नोट किया गया है:

" जर्नल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज खंड 41 में शीर्षक के तहत-फ्रैक्चर ऑफ द ह्योइड बोन इन स्ट्रैंगुलेशन: फ्रैक्चर और अनफ्रैक्चर की तुलना

स्ट्रेंगुलेशन के पीड़ितों से ह्योइड्स, यह कहा गया है:

हाइड गर्दन की यू आकार की हड्डी है जो गला घोंटने से होने वाली सभी हत्याओं में से एक-तिहाई में टूट जाती है। इस आधार पर, शव परीक्षण के बाद हाइड फैक्चर का पता लगाना गला घोंटने के निदान के लिए प्रासंगिक है। हालाँकि, चूंकि कई मामलों में हाइड फ्रैक्चर की कमी होती है, इस खोज

की अनुपस्थिति मौत के कारण के रूप में गला घोंटने को बाहर नहीं करती है। कुछ हाइड अस्थिभंग और अन्य के नहीं होने के कारण गर्दन पर लागू बल की प्रकृति और परिमाण, पीड़ित की उम्र, गला घोंटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण (बंधन या हाथ) की प्रकृति और हाइड की आंतरिक शारीरिक विशेषताओं से संबंधित हो सकते हैं।

हड्डी।

9] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. हालाँकि, सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे स्थापित करती हैं कि तिरलोकीनाथ की हत्या और उसके शव को फांसी देने का ऐसा भयानक कार्य अपीलार्थी द्वारा किया गया था ताकि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सके?

20. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियों की जांच करने से पहले, हम पारित होने में यह अवलोकन कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय

यह भी कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि मृतक तिरलोकीनाथ की हत्या के माध्यम से की गई थी

गला घोंटकर हत्या करने वाले ने अपने शव को पंखे से लटका दिया ताकि गुमराह किया जा सके और चूंकि शव उसी घर में मिला था, इसलिए वह अपीलार्थी के साथ रह रहा था जो उसका कारण नहीं बता सका।

मृत्यु, उसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था। दूसरे शब्दों में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह मान लिया है कि जैसे ही

अपने ही कमरे में तिरलोकीनाथ की हत्या के बारे में, मृतक और अपीलार्थी के तथाकथित तनावपूर्ण संबंधों के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी के अन्य सभी पहलुओं और कथित धमकी के बारे में निष्कर्ष निकाला गया है।

अपीलार्थी की इप्सो फैक्टो की धारणा अमल में आती है और हत्या की मौत पर निष्कर्ष को ही अन्य धारणाओं के जवाब के रूप में लिया गया है। कि क्या अपीलार्थी पर हत्या का आरोप लगाया जाना था या नहीं। हमारे देश में

इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या विचाराधीन मृत्यु हत्या या आत्महत्या थी, अभियोजन पक्ष द्वारा अनुमानित अन्य परिस्थितियों को मिलाने का कोई औचित्य नहीं था, जिसके लिए वास्तव में अलग मूल्यांकन और विश्लेषण की आवश्यकता थी। जो भी हो, अभी उचित है यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे घर लाने में सक्षम रहा है, इस मामले में सामने रखी गई परिस्थितियों की जांच करेगा।

मृतक का कथित अंतिम बयान और अपीलार्थी का मकसद

21. अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन मामले का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच संबंध भी थे तनावग्रस्त; अपीलार्थी के अवैध संबंध थे और वह मृतक के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था; मृतक ने अपीलार्थी के हाथों अपनी जान का खतरा भी व्यक्त किया था; और मृतक अपीलार्थी की संगति से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। पी. डब्ल्यू.-7 बृज भूषण एस. एम. टी. की गवाही

के संदर्भ में निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इन कारकों को साबित किया है, जो अपीलार्थी पर अपने पति की हत्या करने का उद्देश्य (और यहां तक कि मृतक को भी अपीलार्थी के हाथों अपने जीवन के लिए खतरा महसूस हो रहा है) का आरोप लगाते हैं।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(मृतक का भाई) और पीडब्लू-8 राधा पुरी (मृतक की बहन)। जैसा कि देखा गया है, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी इन दो गवाहों पर भरोसा किया है और उनके दावों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। हालांकि, ए.

इन गवाहों की गवाही और मूल्यांकन पर बारीकी से नज़र डालें

अभिलेख पर अन्य कारकों के संदर्भ में उनके साक्षय कई संदेहों को सामने लाते हैं, जिन्हें दूर नहीं किया गया है और जो अभियोजन पक्ष के खिलाफ काम करते हैं। 22. यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अभिलेख पर रखे गए अतिरिक्त दस्तावेजों के संदर्भ में यह सुझाव देने का प्रयास किया है कि पीडब्लू-7 में संदिग्ध पूर्ववृत्तियां थीं और वह एक घोषित अपराधी था, लेकिन हम इस तरह की दलीलों को इस कारण से नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन पहलुओं को विशेष रूप से गवाह की प्रतिपरीक्षा में नहीं रखा गया था।

हालाँकि, सवाल यह है कि क्या उनकी गवाही इस तरह के विश्वास को प्रेरित करती है कि उनके द्वारा सुझाए गए सभी तथ्य और परिस्थितियाँ, और उनके सभी दावों को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाए? हमारे विचार में, इस प्रश्न का उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है।

22.1 . विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि पीडब्लू-7 मृतक का भाई होने के नाते, नहीं होगा

वास्तविक अपराधी को बचाने और अनावश्यक रूप से अपीलार्थी पर आरोप लगाने में रुचि रखते हैं, लेकिन हमारे विचार में, ऐसा दृष्टिकोण मौलिक रूप से गलत था। इस गवाह द्वारा दिए गए बयान की समग्र समझ में, कुछ प्रासंगिक कारक तुरंत ध्यान देने योग्य हैं कि 1978 से 1980 तक लगभग दो साल तक नौसेना में सेवा करने के बाद, वह कभी भी किसी स्थायी नौकरी या व्यवसाय में नहीं रहे थे। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम किया; एक किराने की दुकान भी खोली जो बंद थी; फिर से कुछ और प्रतिष्ठानों में काम किया; और फिर, एक कारखाने की स्थापना की जो भी ऋण की लगभग आधी राशि के भुगतान के साथ बंद हो गया था और बाकी बकाया था। उल्लेखनीय है कि परिवार का पैतृक घर इस गवाह द्वारा बेच दिया गया था और आय का उपयोग उसने किराने का सामान खोलने में किया था।

दुकान, जो उसके द्वारा बंद कर दी गई थी क्योंकि उसे वह व्यवसाय पसंद नहीं था। उसने कारखाने की स्थापना के लिए ऋण लिया था और यह अपीलार्थी का मामला था कि वह उस पर एक गारंटर के रूप में खड़े होने का दबाव बना रहा था और उसके इनकार करने पर, मृतक तिरलोकीनाथ एक गारंटर के रूप में खड़ा हुआ। डी. डब्ल्यू.-3 मृतक के एक सहयोगी सुरिंदर कुमार भट ने इस तथ्य की गवाही दी कि मृतक अपने छोटे भाई (पी. डब्ल्यू. 7) द्वारा नियमित रूप से उससे पैसे की मांग करने के कारण परेशान रहता था और उसने विस्तार से बताया है कि

मृतक द्वारा पीडब्लू की मदद करने के लिए किए गए प्रयास-7 बृजभूषण [2019] 13 एस. सी. आर.

उन्हें कुछ रोजगार मिला और उन्होंने डी. डब्ल्यू.-3 द्वारा प्रबंधित सोसायटी से ऋण भी माँगा। दी गई स्थिति में, यह बहुत स्पष्ट है कि पीडब्लू-7 की गवाही से अतिरिक्त सावधानी और सावधानी के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है।

22.2 . अभिलेख पर बारीकी से नज़र डालने पर, यह देखा गया है कि पीडब्लू-7 द्वारा अदालत में गवाही देते समय कुछ भौतिक सुधार किए गए थे।

प्रारंभिक संस्करण, जिसके आधार पर पीडब्लू-9 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उदाहरण के लिए, अदालत के बयान में, इस गवाह ने आरोप लगाया कि मृतक अपने भाइयों की मदद से अपीलार्थी द्वारा हत्या की आशंका जता रहा था, जबकि इस अभिव्यक्ति में सुधार कर रहा था कि मृतक तंग आ चुका था और डरा हुआ था, जैसा कि प्रारंभिक संस्करण में हो रहा है। इसके अलावा, प्रारंभिक आरोप कि अपीलार्थी मृतक को उचित समय पर भोजन उपलब्ध नहीं करा रहा था

अदालत के बयान में 'समय' में इस प्रभाव से सुधार किया गया था कि वह मृतक को भोजन प्रदान नहीं कर रही थी।

22.2. 1 . भले ही उपरोक्त पहलुओं को एक पल के लिए छोड़ दिया जाए और यह माना जाए कि मृतक पी. डब्ल्यू.-7 से <आई. डी. 1 पर मिला था और उसने अपनी सभी आशंकाओं के साथ-साथ पंचकूला को सामान के साथ छोड़ने की योजना भी बताई थी, लेकिन यह पूरी तरह से समझ से परे है कि मृतक का ऐसा चिंतित भाई सुरक्षा के लिए उसके साथ पंचकूला नहीं गया था। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मृतक द्वारा बताई गई आशंकाओं को साझा नहीं किया और अगले तीन दिनों तक अपने भाई के कल्याण के बारे में पूछताछ भी नहीं की। जाहिर है, इस गवाह का आचरण पूरी तरह से संदेह से मुक्त नहीं था और उसके बयान को उचित पुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अब, पुष्टि के प्रयास का सुझाव केवल इस गवाह की बहन के बयान के संदर्भ में दिया गया है। , पीडब्लू-8 राधापुरी। हालाँकि, उसकी गवाही में संदेह की अत्यधिक विशेषताएं हैं, जैसा कि इन्फ्रा में होता है।

23. अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-8 राधा पुरी ने अपनी गवाही में दिए गए बयान में कई सुधार किए हैं।

जाँच के दौरान। यह आरोप कि मौके पर पहुंचने पर, उसने अपीलार्थी और उसके भाइयों को 'चाय का आनंद लेते' देखा, उसके जूँ के बयान में नहीं लगाया गया था। गवाह ने इस हद तक कहा था कि मृतक पर उसकी पत्नी और बच्चों ने दो-तीन मौकों पर हमला किया था, हालांकि उसके शुरुआती बयान में ऐसा कोई आरोप नहीं था।

जांच पड़ताल की। यह स्पष्ट है कि इस गवाह पीडब्लू-8 की ओर से न केवल अपीलार्थी के खिलाफ बल्कि अपीलार्थी के बच्चों, विशेष रूप से उसकी बेटी के खिलाफ भी आरोप लगाने के प्रयास किए गए थे, यह सुझाव देते हुए कि उक्त बेटी ने मौके पर उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाया था।

गार्गी वी. हरियाणा राज्य

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हालाँकि अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा नहीं था। अंबाला कैंट में भूखंड के संबंध में। , इस गवाह ने अस्थिर जवाब दिए जहां उसने सबसे पहले ज्ञान की कमी बताई; फिर कहा कि साजिश मां के नाम पर थी; और फिर से यह कहने में असमर्थता जताई कि यह किसके नाम पर थी। इन पहलुओं को एक तरफ छोड़ते हुए, उल्लेखनीय विशेषता उनके बयान से यह तथ्य सामने आया है कि पैतृक घर बृज भूषण (पीडब्लू-7) द्वारा बेचा गया था।

24. पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की गवाही पर एक संयुक्त नज़र डालने से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि एक पूर्वज था।

परिवार से संबंधित घर जिसे अकेले पीडब्लू-7 द्वारा बेचा गया था और बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग उसके द्वारा एक किराने की दुकान खोलने के लिए किया गया था, जो उसके द्वारा प्रयास किए गए कई उद्यमों में से एक था, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर बंद हो गया या असफल हो गया। अपीलार्थी ने अपने दावे में स्पष्ट किया था कि संपत्ति और धन परिवार में कलह की जड़ थे और यही कारण था कि मृतक के परिवार ने उसे फंसाया था। डी. डब्ल्यू.-3 ने इस प्रभाव की भी गवाही दी है कि मृतक को अपने भाई यानी पी. डब्ल्यू.-7 की धन की मांगों के कारण तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा था। दुर्भाग्यवश, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर मंडराते इन कारकों और विशेषताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

25. अभियोजन पक्ष की कहानी में और गहराई से जाने पर, यह स्पष्ट है कि

मृतक द्वारा कथित रूप से उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से और अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों के आधार पर गवाह। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 7 और पीडब्लू-8 के इस सुझाव को आसानी से स्वीकार कर लिया है कि मृतक ने उनके सामने बयान दिए हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है। और यहां तक कि पीडब्लू-7 को कथित रूप से दिए गए बयान को मृतक की मृत्यु घोषणा के रूप में लेबल किया है। कड़ाई से कहें तो पीडब्लू-7 को दिए गए कथित बयान को 'मृत्यु घोषणा' के रूप में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि इस तरह का बयान देते समय मृतक अपनी आसन्न मृत्यु के कारण काम नहीं कर रहा था और वह अपनी मृत्यु से संबंधित लेन-देन की परिस्थिति का वर्णन नहीं कर रहा था। तर्कों के लिए, और [2019] 13 एस. सी. आर. के पहले भाग के व्यापक वाक्यांश पर।

भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 32 (1), भले ही यह माना जाए कि मृतक द्वारा दिया गया बयान, मृत्यु का कारण उत्पन्न होने से पहले, या उसकी हत्या का अनुमान लगाने के लिए कोई कारण होने से पहले, भी स्वीकार्य माना जा सकता है, ऐसे कथित बयान पर सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठोस पुष्टि के बिना। वर्तमान मामले में, पुष्टि के बारे में क्या कहना है, यहां तक कि मृतक द्वारा इस तरह का बयान देना भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

25.1 . अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के पास दूर से भी नहीं है

किसी भी कारण से मृतक और अपीलार्थी के संबंधों में कलह के किसी भी निशान का संकेत दिया। अपीलार्थी ने विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में ऐसे आरोपों का खंडन किया है। बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-3 सुरिंदर कुमारभट, जो मृतक के सहयोगी थे और पास में रह रहे थे, ने स्पष्ट किया है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच अच्छे संबंध थे और अपीलार्थी अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे थे। उसमें कुछ नहीं हुआ है।

इस गवाह को अविश्वसनीय के रूप में बदनाम करने के लिए प्रतिपरीक्षा। डी. डब्ल्यू.-4 अखिलेश भटनागर, सहायक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, चंडीगढ़ की गवाही से एक और उल्लेखनीय बात सामने आती है। उन्होंने मृतक के नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए होटल खर्च के बिलों को साबित कर दिया है।

करनाल में उनका प्रवास 14.01.1997 से 01.02.1997 तक रहा। यदि ऐसा था, तो पीडब्लू-8 राधापुरी का यह दावा कि मृतक ने यमुना नगर में 25.01.1997 पर उसे कुछ बयान दिया था, संदिग्ध हो जाता है। जैसा कि देखा गया है, हालाँकि पीडब्लू-8 (जिसके साथ उसने कथित रूप से मृतक के कथित बयान के बारे में बात की थी) के पति को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन अदालत में उससे पूछताछ नहीं की गई थी।

26. हम इस परिच्छेद में पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की गवाही के संबंध में एक और स्पष्ट कारक की ओर भी इशारा कर सकते हैं। यह केवल स्पष्ट है कि

9 32. ऐसे मामले जिनमें एक व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान जो मर चुका है या नहीं कर सकता है पाया जाना, आदि, प्रासंगिक है। - ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो मृत है, या जो नहीं पाया जा सकता है, या जो साक्षय देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगता है, स्वयं निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्य हैं:

(1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। - जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।

10 पकलनारायण स्वामी बनाम। राजा-सम्राटः एयर 1939 पी. सी. 47 एस. एम. टी.

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। उनके शब्दों में: ' मैंने फ़ोन किया।

मेरे भाई की हत्या के बारे में मेरे रिश्तेदारों को संदेश '। पीडब्लू 8 यह कहते हुए उनका सीधा खंडन किया है: ' 1.5.97 पर, मुझे अपने भाई बृजभूषण के माध्यम से पता चला कि तिरलोकीनाथ ने अपराध किया था

पंचकुला ने बताया कि तिरलोकीनाथ ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की एक अन्य विशेषता यह है कि पीडब्लू 3 मनोहरलाल द्वारा तैयार किए गए साइट स्केच के अनुसार, (एक्स। पीडी), 10 फीट x 3 फीट आकार का एक बाथरूम-सह-शौचालय था, जो उस कमरे से जुड़ा था जहां मृतक था। गवाहों पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 के अनुसार। यह स्पष्ट रूप से इस सुझाव को नकारता है कि मृतक को भूतल पर किरायेदार के शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था।

27. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए मजबूत तत्व

इन दो गवाहों पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह दर्ज किए गए हैं। दी गई परिस्थितियों में, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्षय द्वारा यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी अवैध संबंधों में शामिल था या मृतक पर उसके नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाल रहा था और मृतक और अपीलार्थी के बीच कड़ी कटुता थी। ठोस पुष्टि करने वाले साक्षय के अभाव में इसे स्वीकार करना भी मुश्किल है, यदि मृतक

उसने अपनी पत्नी के साथ कलह और पीडब्लू-7 और पीडब्लू-8 को धमकी देने के बारे में कोई कथित बयान दिया था। दी गई परिस्थितियों में, इसके अलावा अन्य इरादों के लिए अपीलार्थी पर आरोप लगाने की संभावना असली अपराधी को किताब में लाना पूरी तरह से खारिज नहीं है।

अंतिम बार देखा गया सिद्धांत: सबूत और प्रभाव

28. अभियोजन पक्ष ने एक अन्य परिस्थिति पर भरोसा किया है कि मृतक अंतत: अपीलार्थी के साथ था और वह उसके ठिकाने के साथ-साथ उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में भी बताने में विफल रही थी।

28.1 . जहाँ तक अंतिम देखे गए सिद्धांत का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी है।

और एक ही छत के नीचे रहने वाला, अंतिम व्यक्ति था जिसके साथ मृतक को देखा गया था। तथापि, मृतक और अपीलार्थी के इस तरह के साहचर्य का अपने आप में यह अर्थ नहीं है कि अपीलार्थी के अपराध का अनुमान लगाया जाना चाहिए। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया है कि भारतीय साक्षय [2019] की धारा 106 13 एस. सी. आर.

अधिनियम 1 1 सीधे अपीलार्थी के खिलाफ काम करता है। हमारे विचार में, ऐसा दृष्टिकोण यह भी त्रुटि से मुक्त नहीं रहा है जहां यह माना जाता है कि भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 106 दोषमुक्त नहीं करती है

इसके प्राथमिक बोझ का अभियोजन। इस न्यायालय ने स्वाल दास (ऊपर) में निम्नलिखित सिद्धांत की व्याख्या की है:

" 10. न तो धारा 103 का अनुप्रयोग और न ही धारा 106 का

हालाँकि, साक्षय अधिनियम अभियोजन पक्ष को दोषमुक्त कर सकता है। अपने सामान्य या प्राथमिक बोझ का निर्वहन करने का कर्तव्य

अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित करना। यह है।

केवल तभी जब अभियोजन पक्ष ने साक्षय का नेतृत्व किया हो जो, यदि विश्वास किया जाए, तो दोषसिद्धि को बनाए रखेगा, या जो प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध करता है।

मामला, कि सवाल तथ्यों पर विचार करने से उत्पन्न होता है जिसके

सबूत का भार अभियुक्त पर हो सकता है।

28.2 . वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह सामने आता है कि

पीडब्लू-7 के संस्करण में, मृतक अंत में 28.04.1997 पर अपनी कंपनी में था जब उसने कथित तौर पर अपनी निराशा और डर के साथ-साथ सामान के साथ लौटने की अपनी योजना भी व्यक्त की। अपीलार्थी ने बताया है कि मृतक आईडी2 की सुबह उसके साथ था जब उसने आईडी1 पर निर्धारित वापसी के साथ उस दिन शुरू होने वाले अपने दौरे के कार्यक्रम की ओर इशारा किया।

यह विवाद में नहीं है कि मृतक अपने कर्तव्यों के संबंध में लगभग दो सप्ताह की लंबी अवधि के लिए नियमित रूप से दौरे पर था। शव 01.05.1997 पर बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार,

संभावित समय जो मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच (<ID2 पर 12.30 दोपहर) 24 से 72 घंटे बीत चुका था। इस राय के आधार पर, अंकगणितीय गणना के माध्यम से यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक का अंत 29.04.1997 पर हुआ होगा। इसके एक दिन बाद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 28.3 . दी गई परिस्थितियों में, अंतिम देखे गए सिद्धांत को अपीलार्थी के खिलाफ केवल इसलिए संचालित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह अपीलार्थी की पत्नी थी।

जब अपीलार्थी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और जब मृतक को मृत पाया गया था तो इसकी संभावना इतनी कम नहीं थी कि अपराध का लेखक होने के नाते अन्य व्यक्ति को पूरी तरह से असंभव माना जाता है। एस. के. में। यूसुफ (ऊपर), इस न्यायालय ने कहा है:

" 106. तथ्य को साबित करने का बोझ, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर। - जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।

" 21. अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है तो इतना कम होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है।

अपीलार्थी और अन्य का बाद का आचरण

परिस्थितियाँ

29. निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-8 द्वारा अपने बयान में किए गए इस दावे पर आसानी से और बल्कि बहुत अधिक भरोसा किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो अपीलार्थी पहली मंजिल पर अपने भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ 'चाय का आनंद ले रही थी' और वह तनावग्रस्त या उलझन में या दुखी नहीं पाई गई। पीडब्लू-8 के दावे के इस हिस्से में अपनी कमियां हैं। पुलिस के बयान में इस तरह का दावा उनके द्वारा नहीं किया गया था और न ही किसी अन्य द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। पीडब्लू-7 सहित अभियोजन पक्ष के गवाह। इसके अलावा, निचली अदालत और उच्च न्यायालय की ओर से यह कहना बहुत अवास्तविक था कि

अपीलार्थी को शव के साथ बैठे हुए पाया जाना चाहिए था। माना जा सकता है कि शव से बदबू आ रही थी और डी. डब्ल्यू.-8 लगभग मौके पर पहुंच गया।

किसी भी तरह से अपराध और उसके व्यवहार और व्यवहार में किसी भी विषमता के बारे में कोई सबूत नहीं था। 30. अपीलार्थी के खिलाफ एक अन्य परिस्थिति यह थी कि उसने कथित तौर पर मृतक की मृत्यु की सूचना मिलने के तुरंत बाद उसके भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को कोई जानकारी नहीं भेजी थी। डी. डब्ल्यू.-3 के बयान की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए अपीलार्थी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों और निष्कर्षों को दर्ज किया गया है। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जो [2019] 13 एस. सी. आर.

डी. डब्ल्यू.-3 के इस कथन को हटा सकता है कि उसने वास्तव में अपीलार्थी के पूछने पर रात 9:30 बजे <आई. डी. 1 पर पुलिस को सूचित किया और मृतक के भाई को भी सूचित किया। जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू-9 एएसआई अमर सिंह ने यह नहीं बताया कि उन्हें जानकारी कैसे मिली। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने गवाह पीडब्लू-7 को जानकारी दी थी, उससे कभी पूछताछ नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के मामले में इस तरह की चूक को देखते हुए, हम डी. डब्ल्यू.-3 की गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। एक बार जब उसकी गवाही स्वीकार कर ली जाती है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी के कई खंड जमीन पर गिर जाते हैं।

सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने का प्रभाव

31. अभियोजन पक्ष के मामले में एक और कमी है जिसने सह-अभियुक्त, अपीलार्थी के भाइयों को बरी कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि अपीलार्थी हत्यारा होता, तो वह अकेले शव को छत के पंखे से नहीं लटका सकती थी; और यह कार्य निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया था। यह है कि इस स्थिति में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के भाइयों के खिलाफ मामले को बिना ठोस और विश्वसनीय साक्षय के साजिशकर्ता के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के भाइयों के स्थान पर वास्तविक अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रहा है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभी तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि को प्रमुख अपराधी के रूप में बनाए रखना उचित माना, जबकि यह विचार करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी को अपीलार्थी के भाइयों के बरी होते ही तोड़ दिया गया था।

31.1 . हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि केवल सह-अभियुक्त को बरी करने के कारण, एक आपराधिक मामले में एक अन्य अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ ठोस सबूत उपलब्ध हैं और उसका मामला हो सकता है

बरी किए गए सह-अभियुक्त के खिलाफ मामले से अलग किया जाए। हालाँकि, वर्तमान मामले के बुनियादी तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन वीभत्स कार्य किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था और यह मान लेना बेतुका होगा कि अपीलार्थी ने शव को छत के पंखे से लटका दिया था। दी गई परिस्थितियों में, जब अपीलार्थी के कथित सहयोगियों को बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी पर पहले से मौजूद संदेहों के बादल घिर जाते हैं। उच्च न्यायालय ने मिसिंग लिंक को केवल जांच एजेंसी की गलती के रूप में छोड़ कर मामले के अति-सरलीकरण के साथ आगे बढ़ा है। हमारी राय में, जितनी जल्दी हो

अपीलार्थी के भाइयों को बरी कर दिया गया, उच्च न्यायालय को इस तरह के बरी होने के परिणाम की जांच करनी चाहिए थी कि अभियोजन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई और एस. एम. टी. का निष्कर्ष निकालना मुश्किल था।

कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला सभी उचित संदेहों से परे स्थापित किया है।

अभियोजन पक्ष का मामला उचित से परे स्थापित नहीं हुआ

संदेह

32. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनके संबंध में, अभिलेख पर रखी गई सामग्री और आसपास के कारकों से प्राप्त स्थिति यह है कि (ए) मृतक तिरलोकीनाथ की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी और आत्महत्या नहीं थी, हालांकि दोषियों द्वारा शव को उसके कमरे में छत के पंखे से लटका कर इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने की मांग की गई थी; (बी) एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस और ठोस सबूत नहीं है कि दोनों के संबंध मृतक और अपीलार्थी तनावग्रस्त थे या कि अपीलार्थी अवैध संबंधों में लिप्त थी या वह अपने नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जोर दे रही थी; (ग) यह भी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि -

33. उपरोक्त कारकों के अलावा, कई अन्य खामियां हैं जिन पर कथित परिस्थितियों द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष अपना मूल्य और बल खो देता है। जैसा कि देखा गया है, जांच

एजेंसी और अभियोजन पक्ष स्पष्ट नहीं थे। विचाराधीन अपराध से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं की ठीक से जांच नहीं की गई और यहां तक कि संबंधित गवाहों से भी पूछताछ नहीं की गई। इसके अलावा, जैसा कि देखा गया है, अभियोजन पक्ष के मामले को इस तरीके से तैयार किया गया था कि अपीलार्थी

उसने अपने भाइयों की मदद से अपराध किया जिन्हें बरी कर दिया गया है।

33.1 . दी गई परिस्थितियों में, यह तथ्य कि भूतल से सीढ़ियाँ सीधे उस कमरे की ओर जा रही थीं जहाँ

मृत शरीर पाया गया, अत्यधिक महत्व प्राप्त करता है। भले ही यह माना जाए कि मृतक उक्त कमरे में रह रहा था, कोई व्यक्ति या व्यक्ति सीधे भूतल से वहाँ पहुँच रहा था और ले जा रहा था।

अपराध से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कुछ व्यक्ति या व्यक्ति

किसी अन्य स्थान पर अपराध को अंजाम देना और फिर शव को लाकर विचाराधीन कमरे में लटका देना भी ऐसी संभावना है जिसे पूरी तरह से असंभव के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। 34. दी गई परिस्थितियों में, जब अभियोजन पक्ष उपरोक्त संदेहों और [2019] 13 एस. सी. आर. पर आरोपित उद्देश्य को दूर करने में सक्षम नहीं हुआ है।

अपीलार्थी विद्यमान प्रतीत नहीं होता है, संदेह का लाभ, जाहिर है, अपीलार्थी को जाता है।

निष्कर्ष

35. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम स्पष्ट रूप से हैं

यह विचार कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत कोण से मामले का रुख किया है और अभियोजन मामले में प्रमुख खामियों और कमियों की अनदेखी की है। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, भले ही अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ कुछ संदेह पैदा करने में सक्षम रहा हो, यह स्वीकार करना असुरक्षित होगा कि निहित परिस्थितियाँ ठोस साक्षय द्वारा स्थापित की गई हैं और ऐसी परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर किसी भी अन्य परिकल्पना को खारिज करती हैं। इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है; वह संदेह के लाभ का हकदार है।

36. नतीजतन, इस अपील की अनुमति इस तरीके से दी जाती है कि आक्षेपित निर्णय और अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के आदेश

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय को दरकिनार कर दिया जाता है; अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाता है और तदनुसार, बरी कर दिया जाता है। उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और प्रतिभूओं को रिहा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान